हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 सितम्बर, 1982

खंड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 20 सितम्बर, 1982

पृश्ठ संख्या

अध्यक्ष द्वारा घोशणा	
श्री गोबिन्द राय बतरा, एम0 एल0 ए0 की मृत्यू संबंधी	(1)1
भाोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्र न एव उतर	(1)15
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(1)37
अ तारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)40
वाक आउट	(1)46
घोशणाएं–	
(क) अध्यक्ष द्वारा	
(i)पैनल आफ चेयरमैन	(1)48
(ii)कमेटी आन पैटी ंज	(1)48
(ख) सचिव द्वारा	

(i)सविधान (46वां सं ाोधन)विधेयक, 1982 के अनुसमर्थन दस्तावेज संबंधी	(1)49
(ii)राश्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(1)49
ध्यानाकर्शण सूचना–	
राज्य में कृशि क्षैत्र में बिजली की सप्लाई में लगातार कटोती से किसान वर्ग में सामान्य रूप से रोश उत्पन्न होने संबंधी	(1)50
वक्तव्य	
सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण सूचना संबंधी	(1)51
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिर्पोट	(1)57
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(1)62
वर्श 1982–83 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स (पहली किस्त)पे ा करना	(1)63
एस्टीमेट्स कमेटी की वर्श 1982–83 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स (पहली किस्त) पर रिपोर्ट पे ा करना	(1)63
प्रिवलेज कमेटी की प्रारम्भिक रिपोर्टस पे ा करता तथा अन्तिम रिपोर्टस पे ा करने के लिए समय बढाना–	

(i) 24—05—1982 को राज भवन, हरियाणा में राज्यपाल का कथित अपमान करने, गाली देने तथा बल प्रयोग करने के लिए चौधरी देवी लाल, एम0एल0ए0 के विरूध	(1)63
(ii)24—06—1982 को सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाशण के अवसर पर उनके कथित अवचार संबंधी, चौधरी देवी लाल, एम0एल0ए0 के विरूध	(1)69
बिल्ज	
(i)दि हरियाणा सिक्यारिटी आफ लैंड टैनयोर्ज (हरियाणा अमैडमैंट) बिल,1982	(1)70
(ii)दि पैप्से टेनैन्सी एंड एग्रीकल्चर लैंड्ज (हरियाणा अमैडमैंट) बिल,1982	(1)72

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 20 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ. में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारासिंह) ने अधयक्षता की।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

श्री गोबिन्द राय बतरा, एम0एल0ए0 की मृत्यु संबंधी

श्री अध्यक्षः मुझे हाउस को बड़े दुख के साथ यह सूचित करना है कि हरियाणा विधान सभा के एक सदस्य, श्री गोबिन्द राय बतरा का, जाकि जिला हिसार के फतेहाबाद निर्वाचन क्षैत्र का प्रतिनिधित्व करत थे, 18 अगस्त 1982 को 1.35 बजे बाद दोपहर निधन हो गया।

भाोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री महोदय भाोक प्रस्ताव रखेगें।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह सदन जम्मू तथा क मीर के मुख्य मंत्री भोख मुहम्मद अब्दुल्ला के

8 सितम्बर, 1982 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाो प्रकट करता हैं।

भोख मुहम्मद अब्दुल्ला का जन्म 5 दिसम्बर, 1905 को श्रीनगर में सोरा में हुआ। उन्होने 1930 मे रसायन भाास्त्र मे एम0ए0 की डिग्री अलीगढ मस्लिम वि वधिलय से प्राप्त की जहां वह छात्र संघ के प्रमुख सदस्य थे। उन्होने अपना जीवन क मीर में विज्ञान अध्यापक के रूप मे आरम्भ किया लेकिन कुछ महीनों के प चात ही उन्होने त्याग–पत्र दे दिया व राजनीति में प्रवे ा पा लिया।

उन्होने महाराजा के विरूध आन्दोलन चलाया तथा पहली बार 14 जुलाई, 1931 को वह श्रीनगर की प्रसिद्व जामा मस्जिद के पास हुए गाली कांड के प चात गिरफ्तार कर लिए गए। तीन सप्ताह के उपरान्त उन्हे रिहा कर दिया गया। वर्श 1932 में वह जम्मू क मीर मुस्लिम कानफ्रैंस के प्रथम अध्यक्ष बने।

वर्श 1938 मे भोख अब्दुल्ला पुनः जेल भेजे गए। जेल से रिहा होने बाद उन्होने 1932 में बनाई गई मुस्लिम कानफ्रैंस का ने ानल कान्फ्रैस में बदल दिया तथा रियासत में प्रजातान्त्रिक सरकार की मांग की।

वर्श 1946 में भोख अबदूल्ला ने 'क मीर छोडो़ आन्दोलन छेड़ा जिसके परिणामस्वरूप एक बार फिर उन्हे जेल भेजा गया। उन्हे जेल में ही अखिल भारतीय राज्य पीपीलस्

कान्फ्रेस का अध्यक्ष चुना गया। जब पाकिस्तानी हमलावरों ने 22 अक्तूबर, 1947 में क मीर पर आक्रमण किया तो उन्हे महाराजा ने बिना भार्त रिहा कर दिया। भीघ्र ही उन्हे आपातकालीन प्र ाासन के मुखिया के रूप में नियूक्त कर दिया। उन्होने इसके तुरन्त प चात क मीर का भारत मे विलय घोशित कर दिया और भारतीय सेनाओं से अनुरोध किया कि वे पाकिस्तानी हमलावरों को क मीर से मार भगाए। अगल वर्श उन्होने पैरिस में हुई सुरक्षा परिशद के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधी मंडल के सदस्य के रूप मे भाग लिया।

वहां से लोटने के प चात राज्य में उन्होने अपने नेतृत्व मे ंसरकार बनयी जिसके वह 1948 से 1953 तक प्रधान मंत्री रहे। जून 1949 मे वह भारतीय संविधान सभा के सदस्य बनये गये व क मीर से संसद सदस्य के रूप में मनोनीत हुये। दिसम्बर मे वह संयुक्त राश्ट्र गये तथा स्पश्ट रूप से घोशणा की कि ''क मीर पर पाकिस्तान का कोई वैधानिक अधिकर नही हे क्योकि क मीर का पहले ही भारत में पूर्ण विलय हो चूका है।''

1964 में उन्होने पाकिस्तान की सदभाव यात्रा की तथा राश्ट्रपति अयूब खान से बातचीत की। इसके बाद वक मक्का की तीर्थ यात्रा पर चले गये तथा मिस्त्र अलजीरिया व ब्रिटेन का दौरा किया।

1975 में उन्होने नये मंत्रीमडंल की स्थापना की जो 1977 में भग हो गया। बाद में नै ालन कांन्फ्रैस ने चुनवों मे ाानदार सफलता प्राप्त की तथा 9 जुलाई 1977 ाको भोख अब्दुल्ला ने मुख्य मंत्री पद की भापथ ली।

उनके निधन से देश एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विख्यात सांसद, एक महान राश्ट्रवादी एवं दृढ़ नि चयी व्यक्तित्व से वंचित हो गयाहै। यह सदन दिवंगत नेता के भाौक संतप्त परिवार के सदसयों के प्रति अपनी हार्दिक सवेंदना प्रकट करता है।

यह सदन भार के भूतपूर्व उप–राश्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक के 31 अगस्त, 1982 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हैं

श्री पाठक का जन्म 26 फरवरी 1896 को उत्तर प्रदे ा में बरेली के स्थान पर हुआ । उन्होने अपनी ि ाक्षा जे0पी0 आर्य हाई स्कूल लुधियाना गवर्नमेंअ कालेज लाहौर, आगरा कालेज आगरा व इलाहाबाद वि वविद्यालय से प्रापत की तथा एम0ए0एल0एल0बी0 की डिग्री प्राप्त की ।

श्री पाठक ने 1919 से 1945 तक बरेली ओर इलाहाबाद उच्च न्ययालय में वकालत की। 1945 में वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे न्यायाघी ा बने लेकिन एक वर्श केप रूचात त्याग–पत्र दे दिया और पुनः वकालत आरम्भ कर दी।

श्री पाठक का सम्बन्ध कई कानून संगठनों के साथ था। वह 1951 में भारत सरकार के विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त हुये। वह 1947 से 1959 तक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में कई बार क मीर समस्या पर कानूनी सलाह देने के लिये संयुक्त राश्ट्र भेजें गये । श्री पाठक ने दक्षिण अमेरिका के बहुत से दे ाों का दौरा प्रधानमंत्री के वि ोश प्रतिनिधि के रूप में राजदूत की हैसियत से किया तथा वहां क मीर समस्या को उचित ढंग से पे ा किया।

श्री पाठक 1960 में राज्य सभा के सदस्य चुने गये और उनहोने कई संसद समितियों मे ंकार्य किया। उनहोने विभिनन विधि व संसदीय प्रतिनिधि मण्डलों मे ंसदस्य के रूप में कई दे ाों का दौरा किया। वह 1966 तथा 1967 मे केन्द्रीय विधि मंत्री बने। उनहें 1967 से 1969 तक मैसूर का राज्यपाल बनाया गया। 1969 से 1974 तक वह भारत के उप–राश्ट्रपति रहे।

उनके निधन से देश एक प्रख्यात न्यायविद व प्रमुख सासंद की सेवाओं से वंचित हो गयाहै। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन पि चमी बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री त्रिभुवन नारायण सिंह के 3 अगस्त 1982 को हुये दुखद निधन र गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह का जन्म 8 अगस्त, 1904 को उत्तर प्रदेश मे ंवाराणसी के स्थान पर हुआ तथा उनहोने का ाी विद्यापीठ से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वर्श 1925 मे उन्होने अपना सकिय सजीवन समाचार पत्र ''इंडियन टैलीग्राफ, लखनऊ' में उप–सम्पादक के रूप में आरम्भ किया। वह 1927 में का ाी विद्यापीठ में अर्थ ाास्त्र के प्रवक्ता भी रहे। परन्तु 1928 में उन्होने पुनः पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेव ा किया और ''हिन्दुस्तान टाइमस'' नई दिल्ली'' के उप–सम्पादक का पद सम्भाला। 1936 मं उनहोने ''नै ानल हैरेल्ड' समाचार–पत्र में सहायक सम्पादक के रूप में कार्य किया और 4 वर्श क`प चात वह इस समाचार–पत्र के जनरल मैनेजर बने।

श्री लाल बहादुर भाास्ली के अंतरंग सहयोगी श्री सिंह ने ''नागरिक अवज्ञा'' व ''भारत छोडो'' आन्दोलनों में सकिय भाग लिया और वह 1930 , 1932 तथा 1942 में तीन बार जेल गये।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह प्रोवीजनल पार्लियामेंट के 1950 से 1952 तक सदस्य रहे। वह 1953 तथा 1957 में पहली तथा दूसरी लोक सभा तथा 1965 में राज्य सभा के लिये चुने गये। उनहोने कई संस्थेाओं तथा संसद की कमेंटियों के विभिनन पदों पर कार्य किया। वह 1952 मे अधिक खद्यान्न उपजाओं जाच समिति के, 1952–53 में प्रैस आयोग के , 1955 से 1957 तक रेलवे फैट स्ट्रक्चर जाचं समिति के तथा 1951–57 तक संसद की

लोक–लेखा समिति के सदस्य रहे तथा बाद में 1957–58 में इसके अध्यक्ष रहे। वह 1958 से 1967 तक योजना आयोग के तथा 1968–70 तक प्र ाासकीय सुधार आयोग के सदस्य भी रहे। वह 1964 में केन्द्रीय मंत्रीमंडल में हैवी इंजीनियरिंग के मंत्री बनारये गये तथा 1964 से 1966 तक हैवी इंजीनियरिंग व उद्योग मंत्री रहे। 1966–67 में वह लोहा तथा इस्पात मंत्री रहे।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह 1970 व 1971 मे उत्तर प्रदे ा के मुख्य मंत्री रहे। वह 1977–81 तक पि चमी बंगाल के राज्यपाल रहे।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह के निधन से दे ा एक प्रमुख स्वतंन्त्रता सेनानी, एक कु ाल प्र ाासक व प्रमुख सांसद की सेवाओं से वंचित हो गयाहै। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के सदसयों को अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

यह सदन हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री गोबिन्द राय बतरा के 18 अगस्त, 1982 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री बतरा का जन्म 2 अक्तूबर, 1928 को जिला मुलतान के गांव खानपुर में हूआ जो अब पाकिस्तान में स्थित है। उनहोने अपनी ि ाक्षा अपने गांव के स्कूल से भाुरू की तथा बाद में

इमरसन कालेज, मुलतान में पढे। विभाजन के प चात इनका परिवार जिला हिसार के फतेहाबाद स्थान पर आ बसा।

श्री बतरा फतेहाबाद की नगरपालिका के दो बाद सदस्य रहै। वर्श 1967 तथा 1982 में वह हरियाणा विधान सभा के लिये फतेहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये। उन्होने 1967 में हरियाणा सरकार के मुख्य संसदीय सचिव के पद पर काम किया। श्री बतरा ने समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान के लिये सराहनीय कार्य किया। श्री बतरा अपने द्वोत्र के विभिनन सामाजिक व भौक्षिक संगठनों से सम्बधं रहे ।

श्री बतरा के निधन से राज्य एक सामाजिक कार्यकर्ता और विधायक की सेवाओं से वंचित हो गयाहैं यह सदन विदगंत के भाोक संतपत परिवार के सदस्यो के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद सदस्य श्री डी0कामाक्ष्या के 4 अगस्त, 1982 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री कामाक्ष्या का जन्म पहली जुलाई, 1922 को आन्ध्र प्रदे ा के जिला नैलोर के गांव स्इकपाली में हुआ। उन्होने अपनी औपचारिक ि ाक्षा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाई स्कूल से प्राप्त की।

श्री कामाक्ष्या व्यवसाय से कृशक थे तथा उन्होने विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक संगठनो मे अनके पदोां पर कार्य किया। वह 1959 से 1964 तक पंचायत समिति अटमाकुर तथा

1959 ासे 1970 तक जिला परिशद नैलोर के सदस्य एवं 1975 से 1978 तक भूमि बंधक बैक अटमाकुर के निदे ाक और 1975 से आगे कृशि विपणन समिति के निदे ाक के रूप में कार्य करते रहे।

श्री कामाक्ष्या 1971 मे पांचवी लोक सभा के लिये चूने गये व 1972–74 में अनुसूचित जातियों व कबीलों के कल्याण के लिये बनाई गई समिति के सदस्य बने। वह 1977 में छठी लोक सभा केलिये पुनः चुने गये तथा 1977 से 1979 तक ि ापिंग व ट्रांसपोर्ट पराम र्ा समिति के सदस्य रहे। 1980 मों वह पुनः आन्ध्र प्रदे ा के नैलोर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये चुने गये।

उनके निधन से दे ा एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता व प्रमुख सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया हैं। चह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद सदस्य, श्री कुमबुम एन0 नटराजन के 30 जून, 1982 को हुए, दुखद एव असामयिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हैं।

श्री नटराजन का जन्म 18 मार्च, 1941 को तमिलनाडु में मदुराई जिले के गांव क श्री कुमबुम में हुआ था। उन्होने अमेरिकन कालेज, मदुराई तथा पंचयाप्पस कालेज, मद्रास में एम0 ए0 तक

ि ाक्षा प्राप्त की। कमजोर तथा दलित वर्गों के उत्थान में उन्होने गहरी रूचि ली।

श्री नटराजन 1980 में तमिलनाडु कें पेरियाकुलन निर्वाचन क्षैत्र से लोक सभा के लिए चुने गये।

यह सदन दिवगंत नेता के भाोकाकुल परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हैं।

यह सदन सर्वश्री भौलेन्द्र नारायण भंजदेव, उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्री; गौडे मुराहरी, लोक सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष; रमन्ना बिदारी, एस0 के0 पोट्टीकट्ट तथा बेगम अनीसा किदवई, भूतपूर्व संसद–सदस्य; जस्टिस एस0 एस0 दुलत, पंजाब हाई कोर्ट के भूतपर्व न्यायाधी ा; श्री तीर्थ सिंह, पैप्यू राज्य के भूतपूर्व मंत्री; डा0 अमरीक सिंह चीमा तथा डा0 कृपाल सिंह, पंजाब कृशि वि वविधालय के भूतपूर्व कुलपति; सर्वश्री सोहन सिंह जो ा, मेहर सिंह, राम सिंह तथा ए0 वि वनाथन, पंजाब के भूतपूर्व विधायक; एम0 सी0 बसप्पा, कर्नाटक विधान सभा के सदस्य; पुलक बेरा, पि चमी बंगाल विधान सभा के सदस्य; पी0सी0 लाल, भूतपूर्व एयर चीफ मा र्ाल; आनन्दमयी मां, दिव्य आध्यात्मिक विभूति; सरला बेन, महात्मा गांधी की ि ाश्या व सर्वोदय कार्यकर्ता; और मेडलीन स्लेड (मीरा बेन), महात्मा गांधी की ि ाश्या व स्वतन्त्रता सेनानी के निधन पर भाोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवगंत महानुभावों के भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हैं।

अध्यक्ष महोदय, कल श्री सुरेन्द्र सिंह, कृशि मन्त्री, जी के दादा चौधरी मोहर सिंह जी का देहान्त हो गया। उनके निधन पर भी यह सदन गहरा भाोक प्रकट करता हैं।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, यह सदन श्री एक नाथ राना डे, जाकि एक महाराश्ट्रीयन रिफार्मिस्ट थे, के निधन पर भी गहरा भाोक प्रकट करता हैं।

यह सदन इन दिवंगत महानुीभावों के भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हैं।

श्रीमति चन्द्रावती(बाडढा़): स्पीकर साहब, यह जो भाौक प्रस्ताव मुख्य मन्त्री जी की तरफ से यहां पे ा किया गया हैं इसमें मैं भी उनकें साथ ज्वायन करती हूं और सभी महानुभावों केा श्रद्वांजलि अप्रित करती हूं। सभी जानतें है कि भोख साहब एक दे ा भक्त थे। उन्होने जो काम करने चाहें और उनके जो उदे य थें उनसे वे कभी विचलित नही हुए। यह जो उन्हे कई बार जेल जाना पड़ा यह केन्द्रीय सरकार की अपीजमैंट की पालिसी का परिणाम था। इस पालिसी की वजह से उन्हें गलत समझा गया और इस तरह की बातें होती रही। यह ठीक है कि वे मक्का गए और मदीना गए। उनका पर्सलन रिलिजन चाहे जो भी

हो लेकिन जम्मू क मीर के बा ान्दे बतातें हैं कि उनके मन में दूसरे रिलिजन्ज के प्रति यानि हिन्दू तथा सिख धर्म आदि के प्रति कोई बायस नही था। उनके निधन से दे ा में सें एक टालैस्ट राजनेता चला गया हैं। हम सब उनके निधन से दुखी हैं और उनके परिवार से सहानुभूति प्रकट करतें है।

पाठक साइब के निधन से भी दे ा को बहुत घाटा हुआ हैं। उनके परिवार से भी मैं सहानूभूति प्रकट करती हूं।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह जी को मैं पर्सनली जानती हूं। उन्होने प चम बंगाल की गवर्नर ाप छोड़ दी लेकिन केन्द्रीय सरकार ने वहां की कप्युनिस्ट सरकार के विरूद्व जो गलत काम करवाना चाहा वह नही किया * * * * । उनकी मृत्यू से दे ा को बहुत क्षति हुई हैं। उनके परिवार से मैं हर्दिक सहानूभूति प्रकट करती हूं।

जस्टिस दुलत के देहान्त से भी दे ा को बहुत नुकसान हुआ हैं। श्री गोबिन्द राय बतरा जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर नही जानती थी लेकिन सुनने में आया है कि वे एक पुराने राजनैतिक कार्यकर्ता थे। डा0 चीमा को मैं व्यक्तिगत तौरप पर जानती हूं। मुझे पता है कि किसान वर्ग के लिए एक अफसर जितना अधिक से अधिक कर सकता हैं वह उन्होने किया। उनकी गिनती बड़े ऐफि ाएन्ट औफिसर्ज में थी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से और भी कई महानूभावों, जिनमें से कई तो पंजाब के एम0 एल0 एज0 थे और कई एम0 पीज0 थे, का भी देहान्त हुआ हैं। मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हूए उन सबको श्रद्वांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिवारों के साथ सहनुभूति प्रकट करती हूं।

स्पीकर साहब, कल चौधरी बंसी लाल जी के पिता जी का स्वर्गवास हो गया। वे मेरे फूफा जी लगते थैं। उनके निधन का भी मुझे बड़ा दुख हैं तथा उनके परिवार के सदस्यों के साथ मैं सहानुभूति प्रकट करती हूं।

इन भाब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, जिन महानूभावों के बारे में यह भाोक प्रस्ताव हाउस में रखा गया हैं, उन सब के बारे में मैं दुबारा अपनी तथा अपने साथियों की और से श्रद्वांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिवार के सदस्यों के साथ सहानूभूति प्रकट करती हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद) अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस ने जो यह भाोक प्रस्ताव पे ा किया हैं, उनमें मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से भारीक होता हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे महानूभाव हमारे बीच सें बिछुड़ गए क्योंकि यह परमात्मा का दस्तूर हैं कि इस जग में जो आता हैं वह जाता भी हैं परन्तु दे ा में कुछ लोग ऐसे पैदा होते है जों अपने पिछे हमें फौलों करने के लिए कुछ बाते छोड़कर जाते हैं। भोख अब्दुल्ला

से मुझें एक दफा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे हिमाचल प्रदे ा में एक भाादी अटैन्ड करके आए थे। मै चंड़ीगढ एयरपोर्ट पर उन्हे रिसिव करने के गया था। दो घन्टे के करीब व हमारे मेहमान रहे थे। उनकी बड़ी टावरिंग और इम्प्रैसिव पर्सनैलेटी थी। वे बहुत स्वीट टैम्पर्ड थे। जितनी कुर्बानियां उन्होने आजादी की लड़ाई के लिए दी, वे किसी से छुपी नही हैं।

इसी प्रकार, श्री जी0 एस0 पाठक एक लीडिंग लायर तथा जज औफ दि हाईकोर्ट रहने के बाद वाईस प्रैंजीडैन्ट की ऐमिनैंट पोजी ान तक पहुंचे। इनके जीवन से हमें एक बात सोचने को मिलती हैं। पाठक साहब को हाई कोर्ट का जज बनाया गया था लेकिन एक साल के बाद ही उन्होने जजि ाप से त्यागपत्र दे दिया और दुबारा वकालत भाूरू कर दी। इससे यह बात ले सकतें हैं कि हाईकोर्ट के जजिज आज भी हाईली पेड नही है और इसकी वजह से ब्रिलिएंट लायर्ज जज बनना पसन्द नही करतें।

श्री गोबिन्द राय बतरा हमारे एक विधायक थे। वे मेरे जिले के रहने वाले थे और मेरे पडो़सी थे। वे बहुत अच्छे आदमी थे तथा दोस्तों के दोस्त थे। उनके निधन से हरियाणा को एक सामाजिक कार्यकर्ता से वंचित होना पड़ा हैं।

इनके अलावा, अध्यक्ष महोदय, और भी अनेक महानुभावों का इस दौरान निधन हुआ हैं। मैं तथा पार्टी के लोग

उन सभी के परिवारों को संवेदना संदे ा देने के प्रस्ताव में भााामिल होते हैं लेमिन यह कहना चाहता हूं कि एक बात से हम इन सबकों सही श्रद्वांजलि पें ा कर सकते हैं। आज स्वतंत्रता सेनानियों की पीढी हमारे बीच से उठती जा रही हैं परन्तु हम देखें कि क्या हम वे आर्द ा अपना रहें है जो अपने जीवन में अपनाएं थें? जिस बेलाग तरिके से उन्होने दे ा के लिए आजादी की लडाई लड़ी क्या हम उसी प्रकार के नै ानिलिस्ट हैं? अगर उनके कदमों पर हम थोड़ा बहुत भी चल पाएंगे तो सही किस्म की श्रद्वांजलि होगी, यह कहते मैं अपना स्थान लेता हूं।

डा0 मगंल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, सदन में मुख्य मन्त्री महोदय ने भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं जिस पर श्रद्वांजलि पें ा करने का क्रम चल रहा हैं। मै अपने और अपने दल की और से इस भाोक प्रस्ताव का समर्थन करने कें लिए खड़ा हुआ हूं। जम्मू का मीर के मुख्य मन्त्री भोख अब्दूला पिछले दिनों इस संसार को छोड़ कर चले गयें। सारे दे ा ने इस बात का भाोक मनाया कि पुरानी पीढी के, अपने किस्म की विचारधारा के और अपनी मर्जी के मुताबिक चलने वाल व्यक्ति इस संसार से चले गये। यह बात ठीक है कि जा व्यक्ति संसार में आया हैं वह एक दिन अव य जाऐगा लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति के चले जाने से अफसोस जरूर होता हैं। स्पीकर साहब, जैसा कि अभी मुख्य मंत्री महोदय ने पढ कर सुनाया कि उन्होने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रसायन भाास्त्र में एम0ए0 किया। उन्होने खाली एम0 ए0 ही

नही की थी। बल्कि एल0एल0बी0 भी की थी। विधार्थी जीवन से ही उन्होने महाराजा के विरूद्व गुलामी से आजादी लेने के लिए आन्दोलन चलाया। आपकों पता है कि स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू का उन्हें बड़ा भारी सहयोग और समर्थन प्राप्त था। हम सभी जानतें हैं कि जम्मू का मीर भारत के लिए एक सैंस्टिव स्टेट आज भी हैं। इस स्टेट का मामला कई बार आता हैं तो बड़ी चिन्ता सी हो जाती हैं कि क्या सरकार ने उन्हें कई सालों तक जेल में रखा। उन्होने रम ाुमारी के लिए भी प्रोपोजल दी और जम्मू का मीर सैटलमेंट बिल भी पास करवाया। इन बातों पर विचार का समय तो नही हैं लेकिन वे एक कन्ट्रोवि र्गिल और यूनिक परसनेलिटी थे। उनके चले जाने से सारे दे ा को बड़ी भारी हानि हुई हैं।

इसी प्रकार से हमारे भूतपूर्व उप–राश्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक के विशय में भी चर्चा आई। उन्होनें लुधियाना के जे0पी0 आर्य हाई स्कूल से मैट्रिक पास की, फिर गवर्नमैंट कालेज, लाहौर में पढ़े और बाद में इलाहाबाद वि वविधालय से पोस्टग्रेजुऐट और एल0एल0बी0 की डिग्री प्राप्त की। वे बड़े अच्छे वकील थे। वे भी इस ससांर से विदा हो गए। उनके निधन से भी हमें बहुत दुःख है।

श्री त्रिभुवन सिंह, जो पि चमी बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल थें, वे भी इस संसार से विदा हों गए। जब वे पि चमी बंगाल के गवर्नर थे, उस समय वे बडी़ चर्चा का विशय रहे। इस

समय मैं उनके बारे कुछ नही कहना चाहता लेकिन बहिन चन्द्रावती जी ने ठीक ही कहा है कि उन्होने वह रोल अदा नही किया जो केन्द्रीय सरकार चाहती थी। उन्होने वही कार्य किया जो सही था।

श्री गोबिन्द राय बतरा, जो इस सम्मानित सदन के सदस्य थे, वे इसी वर्श चुन कर आये थे। वे बड़े अरमान ले कर आये थे कि जन समाज, भाोशित वग। की सेवा करेंगें लेकिन व्यक्ति कुछ सोचता हैं और भगवान कुछ कर देता हैं। मनुश्य अपने तरीके से चलता हैं और भगवान अपने तरीके से चलता हैं। भगवान ने उन्हे भी हमारे बीच से उठा लिया।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार और भी कई सदनों और पार्लियामेंट के मैम्बर इस संसार से चले गये जिनमें श्री कामाक्ष्या जो आन्ध्र प्रदे ा के रहने वाले थे और श्री कुमबुम एन0 नटराजन जो तमिलनाडु के रहने वाले थे और ससंद सदस्य थें, वे भी भाामिल है। श्री भौलेन्द्र नारायण भंजदेव, उडी़सा के भूतपूर्व मंत्री, गौडे मुराहरी, लोक सभा के भूतपर्व उपाध्यक्ष आदि भी भगवान को प्यारे हो गये।

स्पीकर साहब, पंजाब हाई कोर्ट के भूतपूर्व न्यायामूर्ति एस0 एस0 दुलत का भी देहान्त हो गया। वे अभी अभी एक कमी ान के चैयरमैन मुकर्रर हुए थे। मैं उन्हे सन 1953 से जानता हूं जब मुझे नजरबन्द किया गया था। उस समय भी सरकार नें नाजायज तौर पर सरकार ने पकड़ा था। ि ामला में

हाई कोर्ट को बैंच बैठा था। जस्टिस दुलत भी उस बैंच में थे। हमारे सिब्बल साहब वकील थे। वे बड़े अच्छे वकील हैं। उन्होने बहुत अच्छी बहस की। जिस प्रकार के तीक्षण सवाल दुलत साहब ने कियें, वे स्वयं में कमाल थें। उन्होने आखिर में हमें बरी किया। वे पर्सनल लिबर्टी के पक्षपाती थे।

इसी प्रकार श्री तीर्थ सिंह, पैप्सू राज्य के भूतपूर्व मंत्री भी हमारे बीच से चले गये है। उन्होने भी पैप्सू में काफी अच्छे कार्य किये।

डा0 अमरीक सिंह चीमा तथा डा0 कृपाल सिंह पंजाब कृशि वि ववविधालय के भूतपूर्व कुलपति थे। उन्होने भी दे ा की बडी महान सेवा की।

श्री सोहन सिंह जो ा कम्यूनिस्ट पार्टी के बड़े भारी नेता थें। 1948–49 में हम दोनो जेंल में इकट्ठे थें। वे कैदियों के अन्दर इतना जो ा दिला देतें थे कि सभी लोग हैरान होतें थे। उनका भाशण बहुत ही जो ीला होता था। वे कैदियों में जान डाल देते थे। वे भी आज इस संसार से चले गये।

स्पीकर साहब, श्री मेहर सिंह श्री राम सिंह भी मेंरे घनिश्ठ मित्र थे। उनसे मैनें कई मामलों में बडी़ भारी ि ाक्षा प्राप्त की।

श्री ए0 वि वनाथन लुधियाना से दो बार एम0एल0ए0 चुन कर आयें। वे पैदा हुए तमिलनाडू में और एम0एल0ए0 बने

पंजाब से। उनके पिता तमिलनाडू में एक अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक थे लेकिन उनके अन्दर भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम था। उन्होने नादर्न इंडिया में आकर पंजाबी , हिन्दी और अंग्रेजी में भाशण देने की कला में माहिरता प्राप्त की। उन्होने तीनों ही भाशाओं में बालने की इतनी भाक्ति प्राप्त की हुई थी कि कोई भी व्यक्ति यह नही कह सकता था कि वे पंजाब के रहने वाले नही हैं। उनके लैक्चर में बड़ा ही फलो था। अभी वे 55 साल के ही थें लेकिन इस संसार से विदा हो गये। वे बहुत ही अच्छे पार्लिगामेंटरियन थें। इस छोटी सी आयु में ही वे संसार से चले गये। भगवान के सामने किसी भी व्यक्ति का जोर नही चलता।

स्पीकर साहब, एम0 सी0 बसप्पा, कर्नाटक विधान सभा के सदस्य, पुलक बेरा, पि चमी बंगाल विधान के सदस्य, पी0 सी0 लाल, भूतपूर्व एयर चीफ मा ार्ल आदि भी आज इस संसार से चले गये हैं। इन महान हस्तियों के निधन से भी हमें बहुत दुःख हैं।

आनन्दमयी मां, दिव्य आध्यात्मिक विभूति, सरला बेन, महात्मा गांधी की ि ाश्या व सर्वोदय कार्यकर्ता और मेडलीन स्लेड महात्मा गान्धी की ि ाश्या व स्वतन्त्रा सेनानी के निधन पर भी हमें दुःख हैं।

स्पीकर साहब, इन महानुभावों की लिस्ट में बाद में दो नाम और जोडें गये हैं। हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमन्त्री चौधरी बंसी लाल जी के पिता चौधरी मोहर सिंह भी इस ससार से विदा

हों गये। उनके जाने पर हमें दु:ख हैं। उन्होने ऐसे महान सपूत को जन्म दिया जिसने हरियाणा की बहुत बडी़ सेवा की। उनका पोता आजकल हमारी ही विधान सभा के मंत्री पद पर हैं। इस महान विभूति के जाने से हमें दु:ख है।

एक नाथ राना डे का नाम इतना प्रचलित नही है लेकिन जिन्होने महाराश्ट्र रिफार्म आन्दोलन के बारे मेंं पढा हैं उनको मालूम है कि उनका नाम उसके साथ हुड़ा हुआ हैं। रिफार्म आन्दोलन में उनका बड़ा भारी सहयोग रहा हैं। वे महाराश्ट्र के स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। उन्होने युवा अवस्था में ही एम0ए0, एल0 एल0 बी0 पास कर ली थी। वे महाराश्ट्र प्रदे ा मेंं जनसघं के इनचार्ज रहे और सन 1956 से 1962 तक आल इंडियां पार्टी के जनरल सैक्रेटरी भी रहें। फिर कुछ समय के प चात वे इस काम को छोड़ कर स्वामी विवेकानन्द के फालोअर बन गये और स्वामी विवेकानन्द ने जो कार्य अधूरा छोड़ा था उसकों पूरा करने में लग गये। उन्होने पैदल भ्रमण किया। भाुरू में स्वामी विवेकानन्द ने पैदल भ्रमण आरम्भ किया था। कान्या–कुमारी में समुन्द्र कके बीच में एक भाीला हैं, वे पैदल चलते–चलतें वहां पहुंच गये। वहां बैठ कर उन्होने वि ााल भारत की कल्पना की थी। उन्होनें अपने दे ा की संस्कृति और सभ्यता के उत्थान की कल्पना की थी। वहां पर एक स्मारक बनाने की योजना बनी। 10 लाख रूपये की लागत से वहां पर स्मारक बनाने का एक मामला आया। हरियाणा सरकार ने भी एक लाख रूपये की इसके लिये 1967 में दिया था।

दे ा भर में वह एक ऐसे व्यक्ति थें जिनका कोई भात्रु या दु मन नही था। वे अजात– ात्रु थे। वह कितनी ऐक्सैपटेबल परसनैलिटी थी, कितनी उनके अन्दर स्मरण भाक्ति थी, इस बात को आप अन्दजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर उनको जंगल में दिन भर में 500 आदमी भी मिल जायें जो उनको उन सब के नाम याद रहते थे। इतनी उनकी याददा त तीक्ष्ण थी और इतना बडी़ संकल्प उनका था। स्पीकर साहब, आप हैरान होंगें कि उस स्मारक पर डेढ़ करोड़ रूपया लगा हैं ओर वहां पर सारे दक्षिण के लोग ही नही बल्कि तमाम भारत के लोग उस महान विभूति का स्मारक देखने के लिये जाते हैं। वह एक ऐसी विभूति थे जो बडी़ ही योग्य थी। कई पत्रों के सम्पादक थे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे।

जितने भी इस भाोक प्रस्ताव में दिवंगत नेता हैं, मै उनको अपनी और अपनी पार्टी की और से श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

बहिन भाान्ति देवी (करनाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी द्वारा जो भाोक प्रस्ताव पे ा किया गया हैं, मै उसका अनुमोदन करतें हुए यह कहुंगी कि भोख अब्दुल्ला जी, भूतपूर्व उपराश्ट्रपति श्री पाठक जो, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बतरा जी, आन्नदमीयी मां औरप भाई सुरेन्द्र जी के दादा चोधरी मोहर सिंह जी तथा अन्य सभी जो अब जो इस संसार से चले गयें हैं, वे सभी हमारे दे ा के महान व्यक्ति हुए

हैं। यह वि ाश्ट व्यक्ति रहे है जिनकों हम आज इस जगह श्रद्वाजलि पे ा करना चाहते हैं। उनके इस संसार से विदा होने पर हम भाोक प्रकट कर रहे हैं। इस संसार में जो आया हैं, उसने जाना जरूर हैं। यह सृश्टि का व प्रभू का ऐसा नियम हैं। इस संसार में मृत्यू और जन्म दोनों का ही क्रम चलता रहता हैं। मेरा कहना चह है कि हम इनके लिये भाोक प्रकट करते हुए कुछ ि ाक्षा ग्रहण करें। यह जो भाोक प्रस्ताव के समय श्रद्वांजलि पे ा करते हैं।, यह केवलमात्र चिन्तन करने का या इस बारे में विचार करने के लिये आयोजन का समय होता हैं। ये ऐसे व्यक्ति थे, जो सदा–सदा अमर रहेंगें, इनकी वाणी हमें ाा–हमे ाा बनी रहेगी। जो प्रेरणा इनसे दूसरे लोगों का अपनी दे ा–सेवा के लिये मिलेगी, वह हमे ाा कायम रहेंगी और हम ठीक रास्तें पर चल सकेगें। यह बात अव य है कि जो आदमी इस ससार में आया हैं, उसने जाना अव य हैं। यह अगल बात हैं कि जो व्यक्ति कोई अच्छा कर्म करता हैं, दे ा व समाज की सेवा करता हैं, वह दूसरों के लिये प्रेम प्यार और सेवा भावना का एक आद र्ा छोड़ कर चला जाता हैं। ऐसे आदमियों की याद हमे ाा बनी रहती हैं। यदि कोई आम आदमी इस संसार से चला जाता हैं तो वह केवल मात्र इस प्रकार से ही है जैसे समुन्द्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दिया जाये और यदि कोई आम आदमी जन्म लेता हैं तो वह इस प्रकार से हैं जैसे समुन्द्र में एक बाल्टी पानी बढ जायें। परन्तु ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं जिन्होने दे ा के लिये कुछ काम किया हों, उनके जाने मात्र से वह रिक्कता पैदा हो जाती हैं, जिसकी पूर्ति

कठिनाइ से ही हो पाती हैं। तो मेरा कहना यह है कि इस समय इस बात के बारे में चिन्तन करने की आव यता है कि जिसने जन्म लिया हैं वह मरेगा अव य लेकिन अगर वह भलाई के कुछ काम कर जाये तो उसमें ही दे ा का भला हैं और उसका अपना भला हैं। अगर हम सम्पत्ति बनाते हैं, देकाने बनाते हैं, मकान बनातें है या बैंक बैलैन्स बनाते हैं, जव वह सब यहीं रह जाते हैं। महान सिकन्दर का उदाहरण हमारे सामने हैं, हमे उनसे ि ाक्षा लेनी चाहिये। उसने चलतें वक्त अपने परिवारजनों से यह कहा कि जब मेंरी अर्थी उठे तो मेरे दोनो हाथ कफन से बाहर निकाल देना। परिवारजनों ने कहा कि यह तो हमारे यहां परम्परा नही हैं। इस पर उसनें यह कहा कि परम्परा हैं या नही हैं लेकिन यह मेरी अन्तिम इच्छा हैं। उसने ऐसा केवलमात्र यह द र्ाने के लिये किया कि संसार में उसने जितने भी अत्याचार किये, अन्याय किये और जो कुछ भी सोना और धन प्राप्त करने के लिये कर सकता था किया, वह मरने के बाद यही का यही रह जाना हैं। जब उसकी वाणी उसका साथ नही दे रही थी, हाथ–पावं हिल नही रहे थें, कान सुन नही रहे थें और आखें दूखने में असमर्थ थी तों उसको मालूम हो गया कि उसका अन्तिम समय आ गया हैं। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि लोगों को यह पता लग सके कि मुझे जो अच्छी चीज़ कमानी चाहिये थी, वह कमाई नही हैं। मै तो दुनियां से जा रहा हूं। बाकी दुनियां इसे देख ले कि सिकन्दर भी खाली हाथ जा रहा हैं। इसी प्रकार जो लोग पुनर्जन्म में वि वास रखतें हैं, उन्हें भी यदि फिर मनुश्य जन्म मिला तब भी जो जमीन,

मकान या बैंक बैलैन्स आज उनके पास हैं, वह पुरानी मलकीयत उन्हे मिलने वाली नही है उसे जो बस खाता समझियए। अतः इस जन्म में ही हम ऐसा जीवन जीयें जो दूसरों के लिये आर्द ा हों, दूसरों के भले के लियें हो। जैसे हमारी आन्नदमयीं मां ने अपना सारा जीवन प्रेम, त्याग और सेवा में बिताया इसी रिह से हम सबको उनसे ि ाक्षा ग्रहण करनी चाहिये। उनकी पवित्र साधना और सेवा में बिताया इसी तरह से हम सबकों उनसे ि ाक्षा ग्रहण करनी चाहिये। उनकी पवित्र साधना उनके ऊंचे आर्द ा अमर हैं क्योकि आपको पता ही है भारीर का कोई अस्तित्व नही हैं। पहले यह रज और वीर्य का रूप था। अब हाड मांस, मल मुत्र की थैली हैं और अन्त में राख की ढेरी हो जाएगी। इसलियसे इस मनुश्य चोले में रहकर जितना हम दूसरों का भला कर सकें, उतना ही अच्छा हैं। जैंसे आनन्दमयी मां ने आर्द ा पे ा किये हैं, उनकी वजह से वे हमे ाा–हमे ाा के लिए अमर रहेंगी। उनकी वाणी द्वारा जो सत्यता व मधुरता बोली गयी हैं, वह हमे ाा–हमे ाा के लिये अमर रहेंगी। वह हमारे सामने तो अब नही रही लेकिन जो भाुभ संकल्प सदा उनके मन में दूसरो के लिये रहे हैं, वह हमे ाा–हमे ाा के अमर रहेंगे। इस लिये हम सभी अच्छे आद र्ा अपनाये, एक अच्छी जिन्दगी जीयें। जो दूसरों के भले के लिये हों, दे ा के हित में हो और गरीबों के हित में हों। हम ऐसा जीवन जीयें जो सब के काम आयें। तभी हम सच्ची श्रद्वांजलि देने में अपने–आपको सफल मानेंगें। महात्मा बुद्व अपने ि ाश्यों को कहा करतें थे कि थोड़ा समय भाम ाान में आदमी को जरूर

बैठना चाहिये। इस पर किसी ि ाश्य ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? जो बुद्व ने कहा कि वहां बैठकर मनुश्य यह देखेगा कि आज अमुक व्यक्ति चिता पर चढा हैं, कल कोई और चढेगा, और अन्ततः मेरा भी नम्बर भी आयेगा। अतः मानव जीवन की अन्तिम पूर्णता वहां पर ही उपलब्ध होती हैं। हम कहते हैं कि उमर बढ़ रही है लेकिन वास्तव में यह घट रही होती हैं। अन्त में सोचने का भी समय नही होता इसलिये हमें अपने जीवन के क्षण–क्षण का सदुपयोग करना चाहिये सच्चाई बरतना व दूसरेा की सेवा करना और दूसरों से प्रेम करना चाहिये तभी हमारा जीवन अपने लियें, जगत के लियें और उस जगतपति के लियें उपयोगी सिद्व हो सकेगा जिसने हमें मनुश्य जीवन प्रदान किया। इन भाब्दो के साथ दिवंगत आत्माओं को श्रद्वांजलि समर्पित है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल (मुंढाल खुर्द): स्पीकर साहब, दे ा के बहुत सारे दे ा–भक्त, राजनीजिज्ञ, ि ाक्षा भाास्त्री और समाजसेवी आज हमारे बीच नही रहे। मैं अपने आपको इस दुःख के समय इस आनरेबल हाउस तथा उनके परिवारों के साथ भाामिल करता हूं। स्पीकर साहब, इन दे ाभक्तों के कुछ आद र्ा थें, कुछ मर्यादाएं थी और कुछ सिद्वान्त थे। इनमें भोख अब्दुल्ला साहब, पाठक साहब और टी0एन0 सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। भोख अब्दुल्ला साहब, पचास वर्श तक का मीर की राजनीति पर छाए रहे। वे का मीर के मालिक थ और का मीर के एकमात्र नेता थें। जिस तरह से सरहदी गांधी नेता थे। वे का मीर के

मालिक थे ओर का मीर के एकमात्र नेता थे। जिस तरह से सरहदी गांधी नेता थे उसी तरह से भोख अब्दुल्ला साहब सारे दे ा के मुस्लमानें भाईयों के नेता थे। वे एक बहुत बड़े स्वतन्त्रता सेनानी थे। और सारे मुसलमान उनको अपना नेता मानते थे। भोख साहब के कुछ असूल थे, कुछ सिद्वान्त थे और उनसे कभी भी वे पीछे नही हटते थे। भोख साहब पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होने भ्रश्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होने कहा था कि अगर यह भ्रश्टाचार खत्म नही हुआ तो दे ा में जो पार्टी भाासन चला रही हैं वह डूब जाएगी। वे पहले व्यक्ति थे जो राजनीजि में कुछ मर्यादाए कायम रखने के लिए ऐन्टी डिफेक ान बिल लाए। स्पीकर साहब, आज जो दे ा में गन्दी राजनीति का वातावरण बना हुआ हैं, भोख साहब उसे समझतें थे और वे कहां करते थे कि जब तक दे ा में अच्छा राजनैतिक वातावरण नही बनेगा तब तक दे ा में इकौनामिक डिसेपरीटीज, बैरोजगारी तथा दूसरी बुराईया नही खत्म होंगी। भोख साहब के निधन से दे ा को तथा जम्मू का मीर को जो नुकसान हुआ हैं, वह कभी पूरा नही होगा। स्पीकर साहब, भोख साहब अपनी बात के धनी थे और जो कुछ वे करना चाहते थे उसको करके ही रहते थे। चाहे जवाहर लाल नेहरू की सरकार थी या मोरार जी देसाई की सरकार थी, वे हमे ाा अपने विचार खुल कर रखते थे। उन्होने लोकतन्त्र को बहाल करने के लिए का मीर के महाराजा से लडा़ई लड़ी और का मीर के अन्दर जो उस समय सरकार थी उसका मुकाबला किया। बारह वर्श तक नेहरू सरकार की जेल में रहे और

आज की प्रधान मंत्री ने उनके अस्तित्व को माना और उस लीडर को जिसको 1953 मे जेल में डाला था ठीक बाईस वर्श बाद उसी पार्टी ने उनको इज्जत दी और कुर्सी सोंपी। वे का मीर की जनता के तथा दे ा के बहुत जब्रदस्त लीडर थें। स्पीकर साहब, मैं अपने आपको उन परिवारों के साथ जिनके बुजुर्गान, समाज सेवी तथा राजनीतिज्ञ इस संसार में नही रहे, इस हाउस को सच्ची श्रद्वांजलि यही है कि हम सबकों उनके आद र्ो पर चलना चाहिए। मैं अपनी और से श्री टी0 एन0 सिंह तथा पाठक जी को भी श्रद्वांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के दु:ख में अपने आपको भारीक करता हूं।

चौधरी भजन लाल(मुख्यमंत्री): स्पीकर साहब, बहन चन्द्रावती ने बोलते हूए राज्यमाल महोदय के बारे में ठीक भाब्द इस्तेमाल नही किए थे। भाोक प्रस्ताव के समय ऐसे भाब्द नही कहने चाहिएं। इसलिये मै प्रार्थना करूंगा कि व भाब्द कार्यवाही से एक्सपंज कर दिये जाएं।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, ऐसी तो कोई बात मैने नही कही। उनका जों रैफ्रेन्स दिया था वह उचित था। (ाोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस समय हमें किसी कन्ट्रोवर्सी में नही पड़ना चाहिये। जैसा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है अगर कोई ऐसे भाब्द थे तो उनको एक्सपंज कर दिया जाए।

आनरेबल मैम्बर्ज जून में इनऔगरल सै ान के बाद बहुत सी रिनाउन्ड पर्सनलीटीज हूसे अलग हो गई। उन्होने अपने सफीयर में बहुत से ऐसे काम किए जिनसे उनकी याद आज भी ताजा हैं। उनकी डैथ से हमारी कन्ट्री और स्टेट को बहुत धक्का लगा हैं। यह लिस्ट तो बहुत लम्बी हैं लेकिन इनमें से कुछ एक का जिक्र करना मेरे लिये काफी जरूरी हैं। भोख साहब हमारी सिस्टर स्टेट जम्मू और का मीर के कई सालों तक चीफ मिनिस्टर रहें। Sheikh Mohammad Abdullah was a great nationalist, patriot with sterling qualities and a man of iron determination. वे एक सैकुलर लीडर थे' who played a special role in the freedom struggle. जब का मीर पर पहला अटैक हुआ तब वहा पर इंडियन डिफैनस फौरसिज नही थी। It was Sheikh Abdullah who mobilised the people to fight against invadors. उनकी मृत्यू से दे ा को बहुत नुक ाान हुआ हैं और वह पूरा होना मु कल हैं।

इसी तरह से पाठक साहब इंडिया के फार्मर वाईस प्रैजीडैन्ट थे और व एक लीडिंग लायर भी थे। वे राज्य सभा के लिये 1960 में चुने गए। श्री पाठक ला मिनिस्टर भी रहे और मैसूर के गर्वनर भी। उनकी डैथ से कन्ट्ररी ने एक लीगल ल्यूमिनरी और सीजन्ड पार्लियामैन्टेरियन खो दिया हैं।

श्री टी0एन0 सिंह वैस्ट बंगाल के फार्मर गवर्नर थे और श्री लाल बहादुर भाास्त्री जी के क्लोज ऐसो ाएंट थे। उन्होने

सिविल डिसऔबिडिएन्स और क्विट इंडिया मुवमैन्ट में एक्टिव पार्ट प्ले किया। वे उतर प्रदें ा के चीफ मिनिस्टर भी रहें। उनकी डैथ से कन्ट्री ने एक वैटर्न फ्रीडम फाईटर और एक ऐबल एडमिनिस्ट्रेटर खो दिया।

श्री गोबिन्द राय बतरा हमारी असैम्बली के मैम्बर थे। वे 1967 में असैम्बली में इलैक्ट होकर आए थे और उसके बाद वे चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी बने। श्री बतरा ने वीकर सैक ान आफ सोसायटी को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत इंट्रैस्ट लिया। श्री बतरा की डैथ से स्टैट ने एक डिवाटिड सो ाल वर्कर और एक अच्छा लीडर खो दिया।

श्री डी0 कामक्ष्या मैम्बर आफ पार्लियामैन्टरी थे। वे 1971 में लोक सभा के लिए इलैक्ट हुए थे और 1977 में लोक सभा के लिए फिर चुने गए। 1980 में तीसरी बार लोक सभा के लिए इलैक्ट हुए। श्री कुमबुम एन0 नटराजन 1980 में लोक सभा के लिए इलैक्ट हुए। उन्होने वीकर और डाउनट्रोडन सैक ान आफ सोसाइटी को अपग्रेड करने में बहुत इंट्रैस्ट लिया।

मै इन सभी पर्सनलीटीज और जैसे चौधरी मेहर सिंह और रानाउे का नाम लिया हैं और बाकी इस लिस्ट में जिनका जिक्र किया गया हैं, उन सभी को होमेज पे करता हूं। इस हाउस की सिम्पथीज को बीरीवंड फैमिलीज तक पहुंचा दूगां। अब मैं

मैम्बर साहेबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे दो मिनट के लिए खड़े होकर इन महानूभावों को श्रद्वांजलि अर्पित करें।

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन ने खड़े होरि दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होगें।

Cases of Rape, Thefts/Kidnapping in Rohtak

Dr. Mangal Sein: Will the Chief Minister be pleased to state the number of cases of theft, rape and kidnapping registered at Civil Lines Police Station, Rohtak City and Police Station for the old City of Rohtak, Separately during the months of June and July, 1982 together the number of persons arrested in connection therewith and the number of cases which have remained untraced so far?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): सूचना सदन के पटल पर रखी हैं।

सुचना

थाने ाक	भीर्शक अपराध	दर्ज हुए मुकदमो	उन मुकदमों की संख्या जो	गिरफ्तार हुए व्यक्तियो			

नाम		की संख्या	अभी तक बरामद नही हुए है और अनुसंधानधी हैं	की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8
		जून 82	जुलाई 82	जून 82	जुलाई 82	जून 82	जुलाई 82
रोहतक भाहर	चोरी	4	3	4	2	——	1
	बलात्कार	——	——	——	——	——	——
	अपहरण	1	——	——	——	3	——
सिविल लाईन्स रोहतक							
	चोरी	11	12	8	11	3	1
	बलात्कार	——	1	——	——	——	7
	अपहरण	——	——	——	——	——	——

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में फरमाया कि सुचना सदन के पटल पर रख दी गई हैं। मैं आ ाा करता हू कि मुख्य मन्त्री महोदय सदन के पटल पर रखी गयी सूचना पर जरा अवलोकन करके जवाब देने की कृपा करेंगें जैसा कि उन्होने बताया कि जून, 1982 में रोहतक भाहर में केवल चार चोरियां हुई और इनमें से एक भी ट्रेस नही हुई इसी तरह से सिविल लाईनज रोहतक में जून 1982 में 11 चोरियां हुई और इनमें से आठ चारियां बरामद नही हो सकी। फिर जुलाई 1982 में हुई 12 चोरियों में से 11 चोरियां बरामद नही हो सकी। तो अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा इनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इनकी हरियाणा पुलिस की यही कारगुजारी हैं, क्या यही उनकी ऐफीि ाऐन्सी का एक नमूना हैं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर ने यहा पर जिक्र किया कि केवल बड़े–बड़े आदमियों की चोरियां बरामद हुई है और गरीब आदमीयों की चोरियां बरामद नही हुई हैं। मै आपके माध्यम से आनरेबल मैम्बर को यह बताना चाहता हूं कि एक आदमी की 15 रूपये की चोरी हुई, वह भी हमारी पुलिस ने बरामद की हैं।

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया हैं कि जुलाई,1982 में जो 12 चोरियां हुई थी, उन में से 11 चोरियां बरामद नही हो सकी हैं वैसे उन्होने जो माल बरामद किया हैं वह 2 लाख 27 हजार रूपये में से 2

लाख 5,800 रूपये का कर लियाह हैं। अध्यक्ष महोदय एक कहावत हैं कि हिसाब रह ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों। इन्होने तो सारा हिसाप उस तरह से ही गिनवा दिया हैं। क्या ये बताने का कश्ट करेंगे कि जिस रफतार से आपकी पुलिस रोहतक में चोरियां बरामद करने में लगी हुई हैं, क्या यही रफतार कही सारे हरियाणा में तो नही हैं? क्या इसी स्पीड से आपकी स्पीड से आपकी पुलिस काम कर रही हैं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रान्त में चोरियां बरामद करने की हमारी पुलिस की स्पीड बहुत अच्छी है लेकिन मैं क्या करू जिस भाहर में डाक्टर मंगल सैन जैसे बसते हों उसका तो खुदा ही राखा हैं।(ाोर एव व्यवधान)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, जिस प्रान्त का मुख्यमंत्री ऐसा होगा तो उस प्रान्त की जनता का क्या हाल होगा? (ाोर)

चौधरी भजन लालः इसी तरह से हुड्डा साहब ने कहा कि वहां पर लाऊउ स्पीकर बजते हैं और लोग बिना इजाजत के जलसे वगैरह करते हैं। डाक्टर मंगल सैन और हुड्डा साहिब जैसे वहां पर जलसे करेंगे तों वहा पर भाोर भाराबा होगी ही। अगर लाऊउ स्पीकर की इजाजत दे दें तो दिक्कत और अगर इजाजत न दें तो चोरियां हो जाती हैं।(ाोर एव व्यवधान)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, जलसे करना तो हमारा कांस्टीच्यू ानल राईट हैं। ये कौन होतें है हमे रोकने वाले?(ाोर)

प्रोफैसर सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ये जो चोरियां रोहतक में हूंई हैं, उसी प्रकार हरियाणा प्रान्त के दूसरे नगरों में भी हो रही हैं। इन चोरियों में जो लोगो को नुकसान हुआ हैं ओरप माल बरामद नही हुआ हैं, इसके क्या कारण हैं? क्या माल बरामद न होने का सही कारण यह तो नही कि हरियाणा प्रान्त की सारी पुलिस सरकार ने बजाये इस तरफ लगाने के राजनैतिक लोगों को पकड़ने और तंग करने मे लगा रखी हैं? आज पुलिस राजनैतिक लोगों पर बिना वजह नाजायज केस भी बनाये जा रही हैं। सिवाये इस काम करने के और कोई काम पुलिस को नही सौंपा गया हैं, क्या चौरियां बरामद न होने के यही कारण तो नही हैं?

चौधरी भजन लालः यहां पर सवाल तो अध्यक्ष महोदय, केवल रोहतक से सम्बन्धित है लेकिन इस बात को सारे हरियाणा प्रान्त के साथ जोड़ दिया गया हैं। मैं आपके द्वारा सारे सदन को यह बताना चाहता हू कि जितना भाानदार काम हमारी हरियाणा पुलिस ने किया हैं उतना भाायद ही सारे दे ा की दूसरी स्टेट्स में वहा की पुलिस ने किया हों। दूसरे राज्यों में चोरियों की वारदातें हमारे प्रान्त से कही ज्यादा हैं और जो चोरियों के माल

की बरामदगी हुई हैं, वह हमारी स्टेट में सब से ज्यादा हुई हैं। आपकों पता ही हैं कि बसों में हाद ो हुए है, यू0पी0 और पंजाब के लोगों ने बसे लूटी है। बैन्कस में डाके पड़े हैं। अम्बाला में भी बैन्क में डाका पड़ा हैं लेकिन हमारी हरियाणा पुलिस ने बडी़ सतर्कता के साथ इन सब चोरियों का सुराग निकाला हैं और मुलजिमों को पकड़ा भी हैं। जैसी हमारे प्रान्त की पुलिस है वैसी किसी दूसरे राज्य की नही पुलिस नही हैं। मै यह बता दूं कि सचमुच ही हमारी हरियाणा पुलिस अपने कामों के लियें बधाई की पात्र हैं, जितनी प्र ांसा की जाए थोड़ी हैं। इस तरह से यूंही बिना सोचे समझे पुलिस के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाना, यह सरकार बेबुनियाद, निराधार और गलत हैं। मैं फिर कहूंगा कि हमारी पुलिस अपने कारनामों के लिये पूरी तरह से बधाई की पात्र है। हमारी पुलिस ने बहादुरी के काम किये हैं।(ाोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मै आनरेबल मैम्बर्ज से रिकवैस्ट करूंगा कि वे रूल्ज वगैरह पढकर आया करें। (इस समय प्रोफैसर सम्पत सिंह खड़े होकर कुछ बोलने लग पड़े) साहेबान जब मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं तो बीच में किसी को नही बोलना चाहिए। अगर प्रोफैसर सम्पत सिंह जैसे मैम्बर खड़े होकर बीच में बोलने लग जाएं, तो यह उनके लिए भाोभाजनक बात नही हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आप मुण से मुखातिब होकर मुख्तसर सा सवाल करेंगे तो जवाब ठीक आयेगा और इस तरह से सरकार की तरफ से कोई न कोई आ वासन भी आपको मिल सकेगा। यदि

आप साहेबान 20–30 लाइनों का सवाल कर देगें तो उस से आप को कोई भी फायदा नही होगा।

15.00 बजें

श्री हीरानन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि रोहतक में चोरियां बरामद न होने का कारण यह तो नही है कि चूंकि पुलिस के सिपाहियों और अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया है जिसकी वजह से वे डिमारेलाइज हो गयें हों?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नही हैं।

मास्टर ि ाव प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने फर्माया कि बैकों में जो चारियां हुई थी, वह पुलिस ने बरामद कर ली हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अम्बाला भाहर में जो स्टेट बैंक की दो ब्रांचों में चारी हुई थी, क्या वह रिकवर हो गई हैं या नही?

चौधरी भजन लाल: यह सवाल रोहतक के बारे में हैं इस लिए स्पलीमैंटरी का इससे कोई संबंध नही हैं।

Electric Transformers

* **Shrimati Chandravati:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any electrical transformers got burnt in the State during the period from 19-05-1982 to-date;

(b) if so, the district-wise number thereof together with the date of purchase, date of installation and expected/guaranteed life of each such transformer, separately; and

(c) whether the transformers, as referred to in part (a) above, were manufactured by the factories in the Public Sector; if so, the details of such factories?

श्री अध्यक्षः इस प्र न के उतर के लिए गवर्नमैंट ने 15 दिन की एक्सटैन ान मांगी हैं, जोकि मैंने ग्रान्ट कर दी हैं। जो मन्त्री महोदय की और से कम्युनिके ान आई हैं वह इस प्रकार हैं—

Interim Reply

D.O. No. 9/44/82-I-MIP

S.S. Surjewala **IRRIGATION & POWER MINISTER**

GOVT. OF HARYANA

CHANDIGARH

17th September, 1982

Subject:- Starred Assembly question No. 3 asked by Smt. Chandravati, M.L.A.regarding electric transformers.

Dear Shri Tata Singh Ji,

Kindly refer to the above mentioned starred Assembly Question No.3 asked by Smt. Chandravati, M.L.A. during the ensuing session of Vidhan Sabha. This question has been fixed for reply on the 20th September, 1982. The information asked for is not readily available and has to be collected from the field. Efforts are being made to collect the same at the earliest. As the collection of the desired information is likely to take some time more, it will not be possible for the Government to answer the question on 20-09-1982. It is, therefore, requested that Government may be given, Sixty days extension in time for answering this question.

With regards.

Yours Sincerely

Sd/-

(S.S. Surjewala)

S.Tara Singh

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, या तो सरकार यह आ वासन दे कि इस सवाल का जवाब कल या परसों दे देगें

वरना उसके बाद तो सै ान उठ जाऐगा। यह एक बहुत ही जरूरी सवाल हैं। किसानों के ट्रांसफार्मर जल रहे हैं और फसलें भी जल रही हैं। हम यह चाहते हैं कि कम से कम हमारे पास जवाब जा आए।

श्री अध्यक्षः इसमें इनफर्मे ान फील्ड से मंगवानी थी जिसमें काफी लेबर होनी हैं। मै यह महसूस करता हूं कि गवर्नमैंट वाकया ही इतनी जल्दी इनफर्मे ान क्लैक्ट नही कर सकती थी और इसलिये मैने इसके लिये एक्सटैन ान दी हैं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकार साहब, मैं आपकी इजाजत से इस सवाल के पार्ट (बी) के बारे में आपको अर्ज करना चाहता हूं। आप सवाल के (बी) पार्ट को देंखे इसमें कितनी लम्बी सूचना मांगी गई हैं। मैं यह चाहता हूं कि जब सदस्यगण सवाल पूछें तो उनको इस बारे में पहले सोच लेना चाहिए। अब इस सवाल में एक एक ट्रांसफार्मर का डैट पूछा गया हैं कि कौन सी डेट की परचेज हुआ, कब इन्सटाल हुआ और हर एक के बारे में गारन्टी के लिए पूछा गया हें। तो मेरे कहने को मजलब चह है कि इतनी लम्बी इनफर्मे ान क्लैक्ट करने के लिये समय तो चाहिए ही अगर मैम्बर साहेबान जवाब जल्दी चाहतें है तो उनको सवाल उस तरह का करना चाहिए।

Shrimati Chandravati: We will ask for everything, Sir.

Mr. Speaker: I assure the Hon. Members that they will get the reply to this question at their house.

श्रीमति चन्द्रावती: स्पीकर साहब, इस सवाल का नाटिस दिये हुए एक महीने से भी ज्यादा समय हो गया हैं।

श्री अध्यक्ष: हम जो विभाग को सवाल उस समय भेजते है जब सै ान भारू होने वाला होता हैं।

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैम्बर साहिबा ने इतनी डिटेल भेजी हैं, इतना अच्छा सवाल पूछा हैं इसलिये यह नही होना चाहिए कि सै ान भारू होने से कुछ दिन पहले ही आप उस को देख कर गवर्नमैंट को जवाब के लिण भेजें। मेरी रिक्वैस्ट यह है कि ज्यों ही सवाल आए उसको एगजामिन करके गवर्नमैंट को जवाब के लिए भेज दिया जाए।

Mr. Speaker: I will keep this thing in my mind in future.

Leave Travel Concession to Government Employs.

***2. Shri Nihal Singh:** Will the Finance Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give Leave Travel Concession facilities to Government Employees in the State: and

(b) if so, the time by which the afore-said proposal is likely to materialize?

Finance Minister(Chaudhri Katar Singh Chhokar)

(a) Yes.

(b) The details of the proposal are at present being examined. government will take a final decision in the matter as soon as possible.

श्री निहाल सिंहः क्या मन्त्री महोदय बताएगैं कि बजट सै ान से पहले–पहले यह प्रोपोजल एगजामिन हो जाएगी?

चौधरी कटार सिंह छोकरः हम जल्द से जल्द कोि ा ा करेंगें।

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, एल0 टी0 सी0 के बारे में अभी मन्त्री जी ने फर्माया कि प्रस्ताव के ब्योरे की जांच की जा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तब क्या–क्या जांच हुइ हैं और उस बारे में क्या–क्या कार्यवाही हुई है?

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, यह सुविधा काफी लम्बी चोड़ी हैं जोकि सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने अपने एम्पलाइज को दे रखी हैं। हमारी सरकार ने वह आकड़े इकट्ठे करने की कोि ा ा की हैं कि सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट के कितनें एम्पलाइह हैं, उनमें से कितने क्लास 4 के है और किजने दूसरी कैटेगरीज के हैं उनमें से कितने परसैन्ट एम्पलाइज ने यह सुविधा ली है तथा उस पर कितना पैसा खच्र आया हैं। ये आकड़े हम इसलिये इक्ट्ठे कर रहें हैं कि अन्दाजा लगाया हा सके कि इसके लिये कितना

प्रावधान हैं। इसके अलावा दुसरी भी कई बातें हैं जो दूसरी स्टेटों से जानने की कोि ा ा की हैं।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि यह ब्योरा लिया जा रहा हैं कि स्टेट में कितने क्लास फोर एम्पलाइज हैं और कितने क्लास तीन तथा दूसरे हैं। तो क्या सरकार को यह भी नही पता कि स्टेट में कुल कितने एम्पलाईज हैं?

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, भाायद मेरे दोस्त ने सुना नही मैं तो सैन्ट्रल गवर्नमैंट के एम्पलाइज की बात कर रहा था।

श्री वीरेन्द्र सिंहः यह सवाल तो हरियाणा स्टेट के बारे में पूछा गया हैं अगर सैन्टर ने कोई डिसिजन ले लिया हैं तो सैन्ट्रल गवर्नमैंन्ट अपने एम्पलाइज को वह कनसे ान दे रही हैं। उसी पैट्रन पर ये स्टेट के एम्पलाइज को सुविधा देना चाहतें हैं। इस परपज के लिये ये डेटा क्लैक्ट कर रहे हैं कि स्टेट में कितने क्लास फोर एम्पलाईह हैं, कितने क्लास तीन के एम्पलाइज हैं और कितने दूसरी कैटेगरीज के है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह भी नही पता कि स्टेट में कितने एमपलाइज है?

चौधरी कटार सिंह छोकरः भाायद मैम्बर महोदय को सुनने में गलती लग गई हैं। हम तो केन्द्र के एम्पलाईह की संख्या

जानने की कोि ा ा कर रहे हैं हमारे एम्पलाईज की संख्या तो हमारे पास है।(ाोर)

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, हम यह जानना चाहते है कि ये केन्द्र के एम्पलाईज की संख्या किस लिये जानना चाहते हैं?

चौधरी कटार सिंह छोकरः एम्पलाईज फैडरे ान ने मांग की थी कि सैन्टर के पैट्रन पर हमें भी यह सुविधा दी जाए। इसलिये हम सैन्टर की वर्किंग इस बारे में स्टडी कर रहे हैं। हम इसकी फाठनैन्ि ायल इम्पलीके ान देख रहे हैं ताकि उसके मुताबिक रा ि ा का प्रावधान किया जा सकें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इसमें सैन्ट्रल गवर्नमैंट के एम्पलाईज का नम्बर जानना कैसे रलेवैन्ट हैं?

Mr. Speaker: He is trying to get some data from the Central Government and then he will compare the same with our state.

Sh. Verender Singh: For what, Sir\

चौधरी कटार सिंह छोकरः हमारे कुल एम्पलाइज जो दो लाख हैं। यह फैसिलिटी उनके परिवार की भी दी जानी हैं। हम चह जानना चाहते हैं कि कितने परसैन्ट एम्पलाइज तथा उनकी फैमिलीज इस सुविधा को यूटिलाइज करते हैं? हम यह

इसलिये एग्जामिन करना चाहते है ताकि इसकी फाइनैन्ि ायल इम्पलीकं ान्ज समझ में आ सकें।

श्री राम बिलास भार्मा: मन्त्री महोदय ने अभी स्वीकार किया हैं कि वे केन्द्र के कर्मचारियों की संख्या जानने की कोि ा ा कर रहे हैं और स्टेट के कर्मचारियों की संख्या ये जानते हैं। क्या मैं इनसे जान सकता हूं कि प्रदे ा के कर्मचारियों की संख्या कितनी हैं?

चौधरी कटार सिंह छोकर: हमारे प्रदे ा के कुल कर्मचारियों की संख्या करीब दो लाख हैं।

Compensation for land acquired in District Kurukhetra

***21. Chaudhri Sahib Singh Saini:** Will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state—

(a) whether it is a fact that compensation at the rate of Rs. 20,000 per acre was paid to the farmers whose land was acquired in village Devi Dass Pura, Unri, Bir Pipli and Pipli in Kurukshetra District, during the year 1982, while the prevailing open market price of such land ranged to the extent of Rs.80,000 per acre and particularly when the low lying land and far away from G.T. Road was acquired at the rate of Rs.42,000 per acer;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative whether any action has been taken or is proposed to be taken

against the Land Acquisition Officer for this failure to award compensation according to the prevailing market price;

(c) whether it is also a fact that possession of the land, as referred to in the first portion of part (a) above, was taken from the farmers before the payment of compensation to them;

(d) whether any compensation for the standing crops was also paid to the farmers, as referred to in said portion of par (a) above; if so, the quantum thereof; and

(e) the purpose for which the acquired land in villages mentioned in part (a) above is proposed to be utilised?

Town and country planning Minister(Sardar Harpal Signh):

(a) Yes. The compensation was awarded on the basis of the collector's rate.

(b) The Land acquisition Officer has acted in accordance with the law.

(c) Yes. Possession was taken on the day of the award as per law and compensation was disbursed after detailed calculations.

(d) No. The cultivators were allowed to harvest the standing crops.

(e) The Land has been acquired for industrial purposes and it is proposed to be utilised for industrial purpose.

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस समय उस जमीन का कम्पनसै ान दिया गया, क्या उस समय मार्किट प्राइस ध्यान में रखी गई थी, अगर नही रखी गई थी तो उसके क्या कारण हैं?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, लैन्ड ए क्वीजी ान एक्ट 1894 में बना था। इस एक्ट की डायरैक ान के मुताबिक कलैक्टर को एक्वायर की गई जमीन का कम्पनसै ान देने के लिये प्राइम फिक्स करनी होती हैं। कलैक्टर एक्वायर की गई जमीन को कम्पनसै ान देने की प्राइम फिक्स करनी होती हैं। कलैक्टर एक्वायर की गई जमीन का कम्पनसै ान देने की प्राइम फिक्स करता हैं और हमारा डिपार्टमैंट कम्पनसै ान देता हैं।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, सैनी साहब ने अपने सवाल में पूछा है कि ऐसी जमीन की प्राइस खुली मार्किट में 80 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से है मगर सरकार ने उन गावों की जमीन का कम्पनसै ान 20 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया हैं। दूसरी तरफ लो लाइंग एरिया जोकि जी0टी0 रोड से दूर हैं, उसकी कीमत 42 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से दी गई हैं। मै आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब लो लाइंग एरिया की जमीन की कीमत 42 हजार रूपया प्रति एकड़ के हिसाब से दी गई हैं तो उस जमीन की कीमत 20 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से क्यों दी गई, इतना फर्क क्यों हैं।

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, लैन्ड इक्वीजी ान एक्ट के मुताबिक जमीन एक्वायर करते वक्त कलैक्टर को देखना होता हैं कि उस जमीन की सिचुए ान कैसी हैं। इस जमीन की सिचुए ान डिफर हो सकती हैं। यह जमीन भाहर से दूर हो सकती हैं और लो लाइंग एरिया की जमीन भाहर के नजदीक भाहर के नजदीक हो सकती हैं । जमीन एक्वायर करते वक्त लैन्उ लैन्ड इक्वीजी ान एक्ट के मुताबिक जमीन की प्राइम फिक्स की जाती हैं। कलैक्टर जमीन की प्राइस फिक्स करता हैं। इतना अन्तर क्यों है इस बात का जवाब कलैक्टर के पास मिल सकता हैं।

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि जब सरकार जमीन एक्वायर करती हैं जो क्या उस समय आप इस बात की ध्यान में रखते हैं कि उसी के साथ वाली जमीन प्राइवेटली तौर पर कितनी कीमत में बिकी हैं? क्या सरकार जमीन एक्वायर करतें वक्त प्राइवेट तोर पर बिकी हुई जमीन की कीमत के हिसाब से प्राईस फिक्स करती हैं?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैने पहले ही जवाब दे दिया हैं कि एक्ट के मुताबिक कलैक्टर सब बातों का ध्यान में रख कर जमीन की प्राईस डिटरमिन करता है।

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मै मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जमीन एक्वायर करते वक्त क्लैक्टर कौन–कौन सी चीजें ध्यान में रखता है?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैम्बर साहिबा अगर पूरी डिटेल जानना चाहती हैं तो वे एक्ट पढ लें।

श्री विरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी के नोटिस में यह बात है कि लैन्ड इक्वीजी ान के केसिज में जो भी पहली बार कम्पनसै ान दिया जाता हैं उसमें सरकार की तरफ से हमे ाा ज्यादती की जाती है। लोगों को मजबूरन लिडिगे ान में जाना पड़ता हैं और कोर्टस उनको अमूमन दो, तीन और चार गुणा तक बढा कर दिलवाती है। मै मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आम जनता को अन–नैसेसरी लिटिगे ान से बचाने के लिये कोई स्टैप उठाएगी?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह सैनट्रल एक्ट है स्टेट का एक्ट नही है आनरेबल मैम्बर ने जो बातें कही हैं इस किस्म की बातें सैन्ट्रल गवर्नमैंट के सामने भी गई थी और प्रधान मन्त्री जी ने यह बात स्वीकार की कि लैन्ड इक्वीजी ान एक्ट में जो कमियां है, वे दूर होनी चाहिए। उन कमियों को दूर करने के लिए 30 अप्रैल को पार्लियामैंट में बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया था। सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट की मंजूरी के बाद वह एक्ट स्टेट में आ जाएगा।

श्री विरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, एग्रीकलचर मिनिस्टर राव बीरेन्द्र सिंह जी ने वह बिल इन्ट्रोड्यूज करने के बाद वापिस ले लिया है।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि लैन्ड इक्वीजी ान एक्ट सैन्ट्रल एक्ट है क्या यह एक्ट स्टेट को डीबार करता हैं कि हम इससे ज्यादा कम्पनसै ान नही दे सकते?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, लैन्ड इक्वीजी ान एक्ट 1894, की सैक न 4 में यह लिखा है कि जिस समय सैक ान 4 का नोटिफिके ान होता है, उस समय की प्राइस एवार्ड हो सकती हैं उसके बाद की नही हो सकती।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, जी ने बताया कि लैन्ड इक्वीजी ान एक्ट, 1894 का एक्ट हैं और इस एक्ट की दफा 4 लागू होने के बाद कोई प्राइस राइज कंसिड्रे ान में नही आ सकती । मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक्वायरप की गई जमीन का कम्पनसै ान देने के लिये प्राइस फिक्स करतें समय किन–किन बातों को कंसिड्रे ान में लाया जाता हैं?

मुख्य मन्त्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जो जमीन एक्वायर की जाती हैं उसकी 5 साल पहले की औसत ली जाती हैं कि इस जमीन की किस भाव से रजिस्ट्री हुई थी। इसके अलावा इस बात को भी ध्यान में रखा जाता हैं कि इस समय मार्किट प्राइस क्या हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर किसानों को उनकी जमीन की पूरी कीमत देने की कोि ा ा की जाती हैं। यदि किसी किसान को उसकी जमीन का पूरा मुआवजा नही

मिलता हैं तो उसकी अदालत में जाने का पूरा अधिकार हैं। हमने डी0सी0 साहेबान को हिदायत जारी कर दी हैं कि जब आप फैक्ट्री वालों को फैक्ट्री लगाने के लिये जमीन एक्वायर करके देते हैं तो किसानों को उनकी जमीन की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमने डी0सी0 साहेबान को यह भी कहा है कि किसानों को उनकी जमीन का जो मार्किट रेट हैं वह दीया जाए और जो काबिले का त जमीन हैं, अच्छी जमीन हैं उनको एक्वायर करने की कोि ा ा न की जाए अगर कोई मजबूरी हो जाए तो एक्वायर करें। काबिले का त जमीन और अच्छी जमीन की बजाये आप पंचायत की भामलात देह और बंजर जमीन एक्वायर करें चाहे वह जमीन गांव से और भाहर से दूर भी क्यों न हो ताकि किसानों को कम से कम नुक्सान हों। अध्यक्ष महोदय, आज की सरकार किसानों को उनकी जमीन का पूरा–पूरा मुआवजा देने की कोि ा ा करती हैं और भाायद भविश्य में इस किस्म की ि ाकायत आपकें सामने न जाए।

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, इस सवाल में एक्वायरप की गई जमीन का जो कनपनसै ान देने के बारे में पूछा गया हैं उस बार में मैं मुख्य मन्त्री जी से पुछना चाहती हूं कि क्या उन सब बातों को ध्यान मे रख करके उस जमीन की कीमत दी गई है या नही?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हो सकता हैं कि यह पुराना केस हो। अगर दफा चार की नाटिफिके ान 1976 में

होती है तो डी0 सी0 मजबूर होकर उस समय का हिसा करके उस जमीन की कीमज लगाता हैं। हो सकता हैं इस जमीन की नोटिफिके ान 1976 की हो इसलियें इसकी उस वक्त के हिसाब से कीमत लगनी पड़ गई हो, इस समय के हिसाब से कीमत न लगाई गई हो। जिनकी जमीन एक्वायर की गई है यदि उनको पूरा मुआवजा नही मिला तो उनको अदालत में जाने को अधिकार है और हो सकता हैं अदालत उनको फालतू कीमत दिलवा दें। इस भविश्य में इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि किसानों को उनकी एक्वायर की गई जमीन का पूरा पैसा मिले।

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे गृह आ वासन देगें कि आयंदा उपजाऊ जमीन एक्वायर नही की जाऐगी, बैस्ट जमीन एक्वायर की जाएगी?

श्री अध्यक्षः इस सवाल को जवाब आ चुका हैं।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि किसानों की अच्छी जमीन को एक्वायर नही किया जाऐगा। इस सम्बन्ध में मैं आपके जरिऐ मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पानीपत के अन्दर सरकार एक इन्डस्ट्रीज कम्पलैक्स बनाने जा रही हैं। जहां पर सरकार यह कम्पलैक्स बनाना चाहती है, वह जमीन अच्छी हैं। वहां के किसान मुख्य मन्त्री जी से भी मिलें थे

कि वह जमीन एक्वायर न की जाए। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उस जमीन को एक्वायर तो नही करेगी?

चौधरी भजन लालः पानीपत की बात इस समय मुझे जबानी याद नही हैं। लेकिन हम ऐसी जमीन मजबूरन ही एक्वायर करेंगे, जब हमारे पास और कोई चारा नही होगा। जहां तक संभव हो सकेगा ऐसी जमीन एक्वायर नही की जायेगी।

श्री देवी दासः अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के 'क' भाग में पूछा गया है कि कुरूक्षैत्र जिले के कुछ गांव की जमीन एक्वायर करके किसानो को मुआवजा 20,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से दिया गया हैं जबकि खुली मार्किट में ऐसी जमीन का भाव 80,000रूपये प्रति एकड़ की दर से हैं। इसके अतिरिक्त जी0टी रोड़ से दूरवर्ती निचाई वाली भूमि को 42,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से अर्जित किया गया हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जी0टी0 रोड़ से दूर ओर निचाई वाली जमीन की कीमत तो 42,000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से दी जबकि जी0टी0 रोड़ के नजदीक की कीमत किसानों को 20,000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से दी हैं। यह इतना अन्तर कैसे हैं?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने बता दिया हैं कि सरकार की यह नियत है कि किसानों को उनकी जमीन की ठीक कीमत मिलें। जहां तक इन्होने 20,000 और 42,000 रूपये का जिक्र किया गया हैं, उसके बारे में मैं मैम्बर

साहेबान को कुछ बताना चाहूंगा। स्पीकर साहब, जो साथी किसान तबके से ताल्लूक रखते हैं, उन्हें अच्छी तरह से यह बात मालूम होगी कि जमीन की कीमत उसी वक्त बढती है जब गवर्नमैंट वहां पर कोई डिवैल्पमैंट का काम भुरू करती हैं। गवर्नमैंट जब जमीन को एक्वायर करके डिवैल्प करती हैं तो उसके साथ ही साथ जमीन की कीमत भी बढती चली जाती है। जि जगह पर सराकार डिवैल्पमैंट का काम भुरू नही करती, उस जगह पर जमीन की कीमत अधिक नही बढती। कई सालों के बाद उस जगह की कीमत बढती हैं। हम बता चुके है कि सारी बातों को ध्यान में रखतें हुए ही किसी जगह की कीमत निर्धारित की जाती है। कई दफा जो जमीन हम खरीदतें है ओर जो भाव हम किसानों को देते है उसके विरूद्व अपील भी हो जाती हैं और उन किसानों को बढी हुई प्राईस का एवार्ड भी कोर्ट की तरफ से मिला हैं। जिस किसी की भी जमीन गवर्नमैंट एक्वायरप करती हैं यदि वह उसकी कीमत ठीक न समझे तो वह व्यक्ति एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जा सकता हैं और दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट में जा सकता हैं। उसे अपनी उचित प्राईस लेने का पुरा अधिकार हैं। लेकिन हमारी यह कोि ा ा होती हैं कि किसानों को उनकी जमीन की उचित प्राईस मिले।

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार जो जमीन एक्वायर करती हैं, किसानों को उसकी पेमेंट करने का क्या प्रोसीजर हैंद्य

श्री अध्यक्षः यह एक्ट में लिखा हुआ है।

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, किसानों की जमीन एक्वायर करनें के बाद उन्हे अपने पैसे लेने के लिये कई–कई चक्कर काटने पड़तें हैं। इसलिये मै चाहता हू कि किसानों को पेमेन्ट चैक द्वारा दी जाये न कि उन्हे बुला कर। जिस दिन उन्हे पेमैंट देने के लिये बुलाया जाता हैं, उस दिन उन्हें पेमैंट दी नही जाती औरप कई–कई चक्कर काटने पड़ते हैं। इस बारे में सरकार का क्या विचार है?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, जो जमीन एक्वायर की जाती हैं, वह एक आदमी की तो होती नही। जमीन के कई मालिक होते है। जिन–जिन की जमीन एक्वायर की जाती है उस बारे में देखना होता हैं कि किस व्यक्ति की कितनी जमीन हैं। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान मे रखतें में रखते हुए किसानों को बुलाया जाता हैं ताकि जितनी जमीन जिनकी हैं उनसे पुछ कर उन्हे पैसा दिया जा सके।

चौधरी साहब सिंह सैनीः क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि गांव देवीदास पुरा, उमरी, बीड़ पिपली(कुरूक्षैत्र) के जिन लोगों ने अपनी जमीन का कम्पनसै ान बढाने के बारे में रिप्रजैन्टे ान दी थी, क्या सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की हैं?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इस बारे में पहले ही बात हो चुकी हैं कि यह एक जुडि ियल प्रोसैस हैं। एवार्ड देने के बाद इसके अन्दर गवर्नमैंट कुछ भी कन्सिडर नही कर सकती हैं। इसके लिए तो उन्हे कोर्टस में जाना पड़ेगा। जिस समय यह कीमत दी गई थी उस समय कलैक्टर के नोटिस में सारी बातें थी। उन्होने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही उस समय प्राईस फिलस की थी।

Dr. Bhim Singh Dahiya: Mr. Speaker, Sir,the Hon'ble Minister has stated that it was a Central Act and the State Government is very much pursuing the matter. But the Hon'ble Chief Minister has said that in future the current market price of the land to be acquired will be taken into account. Shall we treat it an assurance from the Harynaa Government that in furture no discrimination will take place in the prices to be given to the owners of the land and the current market price of the land?

चौधरी भजन लालः एक्वायर की गठ जमीन की प्राईस गवर्नमैंट आफ इण्डिया नहीं बढ़ाती। हम पहले ही कई बार कह चुके हैं कि सरकार सारी बातों को देख कर ही प्राईस फिक्स करती है। हमने इस बारे में डी.सी. साहेबान को निर्दे ा भी दे रखे हैं कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाये। हम दुबारा भी उनको लिख देंगे कि जिन किसानों की जमीन एक्वायर की जाये उनको उचित प्राईस दी जाये ताकि उन्हें

कोर्टस के चकक्कर न लगाने पड़े और मार्किट के अन्दर जो प्राईस हो, वह प्राईस किसानों को दी जाये।

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, इनके नोटिस में भी है कि एवार्ड होने के बाद भी किसानों को या जिन लोगों की जमीन एक्वायसर की जाती है उनको दो दो और तीन तीन साल तक पैसा नहीं मिलता। क्या ऐसी कोइ इन्स्ट्रक ान्ज जारी करेंगे कि एवार्ड होने के एक साल के अन्दर अन्छर किसानों को पैसा मिल सके ?

सरदार हरपाल सिंहः आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसानों को एक साल के अन्दर अन्दर पैसा मिल जाए।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, यहां पर मुख्य मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि किसानों को उनकी जमीन की उचित प्राईस देने की कोि ा ा कर रहे हैं और इन्स्ट्रक ान्ज भी जारी कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की इन्स्ट्रक ान्ज कब जारी की गई हैं ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्स्ट्रक ान्ज जारी कर दी गई है और अब दुबारा फिर कर देंगे। जिस समय इस प्रकार की कोई जमीन एक्वायर करते हैं, उस समय डी.सी. साहब सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करते हैं तभी जा कर कोई अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, जिस दिन सरकार किसानों की जमीन एक्वायर करती हैं उसी दिन से उनकी रोटी रोजी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात का जवाब देगी कि एवार्ड होने के बाद 5–5 साल और 10–10 साल तक उनको पैसा क्यों नहीं मिलता। क्या सरकार की उस मुआवजे का एक साल के अन्दर अन्दर देने के लिए कोई नीति है ?

सरदार हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, एवार्ड होने के बाद काफी समय बाद पैसा मिलने की बात मेरे नोटिस में नहीं है। एक दो साल के अन्दर अन्दर पैसा दे दिया जाता है। यह हो सकता है कि किसी केस में कोई पार्टी कोर्ट में चली गई हो और कोर्ट का डिसीजन आने में कुछ समय लग गया हो। इस बारे में तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारी कोि ा ा यही रहती है कि जिस दिन एवार्ड हो उसके बाद तुरन्त किसानों को पैमेंट कर दी जाये।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, एवार्ड होने के बाद किसानों को पैसा लेने में 10–10 साल लग जाते हैं। मैं तो सरकार की स्पश्ट नीति जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष: पिपली के अन्दर जिन किसानों को 20 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्राईस दी गई है उसका बहुत सारे लोगों ने अफसोस जाहिर किया है। हम यहां पर कह देते हैं कि मुकद्दमा हो सकता है, केस कोर्ट में जा सकता है

और अपील की जा सकती है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि इस से लोगों को काफी परे ाानी का समाना करना पड़ता है। (तालियां) एक बात जिसका यहां पर जिक्र किया है कि एवार्ड होन के बाद किसानों को उनकी प्राईस मिलने में 8–10 साल लग जाते हैं, यह बात भी ठीक है। जमीन एक्वायर हो जतगी है और उसी दिन से उनकी रोटी रोजी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से रिकवैस्ट करूंगा और हाउस के जो दूसरे मैम्बरों की भी फीलिंग है कि जमींदारों को उनकी जमीन का कम्पनसे ान देने में काफी समय लग जाता है, वह न लगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पैसे का भुगतान किया जाये। इसके अलावा एक बात और भी है कि जमींदारों को जमीन का जो मुआवजा दिया जाता है, उसे तय करने के लिए जो कानून है वह भी डिफैक्टिव है जिसकी वजह से जमींदारों को कम पैसा मिलता है। इस बारे में भी कुछ सोच विचार करने की जरूरत है। ला में भी कुछ डिफैक्ट है जिसकी वजह से डी.सी. भी पाबन्द है। जो लाईन बनी हुई है उसे वह भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से और मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे कोई न कोई ढंग निकालें जिससे लोगों को इस तरह की दिक्कत न हो।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हम इस बात की पूरी कोि ा ा करेंगे कि किसान को सही कीमत मिले और वह जल्दी मिले।

Assurances given in the Backward Classes Conference held at Hissar

***10 Ch. Kundan Lal:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether any assurances were given by him in the Backward Classes Conference held at Hissar on 20-6-81; if so, details thereof;

(b) whether the assurances, if any, given have been implemented by the Government; and

(c) if not, the reasons therefor?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection is as under:-

Interim Reply

"Shakuntla Bhagwaria D.O.No. SWM-4-82

Social Welfare Deptt., Haryana

September, 18, 1982.

Subject:- Starred Assembly question No. 10 asked by Sh. Kundan Lal M.L.A. regarding assurances given in the Backward Classes Conference held at Hissar due on 20-9-1982.

R/Sir,

Kindly refer to the Starred Assembly Question No. 10 asked by Sh. Kundan Lal, M.L.A. regarding the assurances given by the Chief Minister in the Backward Classes Conference held at Hissar. The requisite information is being collected from different departments and it may take some time to collect the same. It is, therefore, requested that the extension for four weeks may kindly be granted to reply the Starred Assembly Question No. 10.

With regards, Yours sincerely,

Sd/-

(Shakuntla Bhagwaria)

Sh. Tara Singh,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha

Chandigarh

Profit/Loss in Confed

***16. Smt. Basanti Devi:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state the details of profit earned or loss suffered by CONFED during teh years 1979-80 and 1980-81, separately?

Cooperation Minister (Ch. Birender Singh): Confed suffered a loss of Rs. 48092.85 during the year 1979-80 and earned a profit of Rs. 68012.05 during the year 1980-81.

डा. मंगल सैनः मंत्री जी बातने का कश्ट करेंगे कि क्या कंफैड में से कुछ ऐम्पलाइज को रिट्रैन्च करने का फैसला किया है और अगर किया है तो अब तक कितने ऐम्पलाइज को रिट्रैन्च किया गया है ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अभी तक सरकार ने या कंफैड ने किसी स्टाफ को रिट्रैन्च करने का फैसला नहीं किया है लेकिन कंफैड रिब्लीटे ान स्कीम अन्डर कंसिड्रे ान जरूर है।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, दो चार दिन पहले यह सूचना अखबार में आई थी कि डेढ़ करोड़ रूपये का घाटा कंफैड में है। लिहाजा उसके कारण बारह सौा एम्पलाईज को रिट्रैन्च करने की योजना है। क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि यह बात सत्य है ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, अखबार वाली बात को तो ये ज्यादा जानते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि डेढ करोड रूपये के घाटे की बात बिल्कुल असत्य है।

डा. भीम सिंह दहियाः स्पीकर साहब, कंफैड के ऐम्पलाइज ने एक पर्चा आज जारी किया है। इसमें उन्होंने सात कोआप्रेटिव भूगर मिल्ज जो चल रही है, उनका घाटा दे रखा है। प्रति वर्श घाटा करनाल भूगर मिल का साढ़े छः करोड़ है, पानीपत भूगर मिल का पांच करोड़ हैं, रोहतक भूगर मिल का 5 करोड़ है, सोनीपत भूगर मिल का पांच करोड़ है। मैं मंत्री जी से

जानना चाहूंगा कि यह जो घाटा दिया गया है, क्या यह ठीक है ? अगर ठीक है, तो सरकार इस बारे में क्या करने का विचार रखती है ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इस प्र न का आज के क्वै चन से कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर इसके लिए ये सैपरेट नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जाएगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो आंकड़े दिए कि फलां मिल में 6 करोड़ रूपये का घाटा है और फलां मिल में 5 करोड़ का घाटा है, ये बिल्कुल गलत है।

डा. मंगल सैनः क्या मिनिस्टर साहब, यह बताने का कश्ट करेंग कि मई के महीने में यानी चुनाव के दिनों में कंफैड की ओर से रोहतक, भिवानी, जींद तथा दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर लगभग 70 हजार लोग इन्टरव्यू के लिए बुलाए गए लेकिन उनमें से नकद 6 आदमी रैगुलर रखे गए और 24 आदमी ऐडहाक रखे गए ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह सवाल भी मेन क्वै चन से सम्बन्धित नहीं है। मेन क्वै चन में तो केवल 1979 और 1980 के लौस के बारे में पूछा गया है। इसके लिए इन्हें सैपरेट नोटिस देना पड़ेगा। (विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, यह स्कीम केन्द्रीय सरकार की सहायता से चालू की गई थी। क्या मिनिस्टर साहब

बताएंगे कि क्या यह सत्य है कि चूंकि इन्होंने इस स्कीम को गलत तरीके से चालू किया इसलिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने इन्हें मदद देना बंद कर दिया है ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, कंफैड ने आज तक कभी सैन्ट्रल गवर्नमैंट से किसी किस्म की मदद नहीं ली और न ही कोई असिसटैंस हमें उनसे प्राप्त हुई है। यह सारे का सारा कम स्टेट गवर्नमैंट ने अपने रिसोर्सिज से चल रहा है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस महकमे का चार्ज संभालने के प चात् इन्होंने कुछ लोगों को रिट्रैन्च किया है या नहीं ? इसके अलावा क्या ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पिछली सरकार के समय में जो भर्ती की गई थी वह बिल्कुल गलत और नाजायज की गई थी और ये उसमें कुछ छंटनी करेंगे ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इनके सवाल के पहले हिस्से का जहां तक सम्बन्ध है, उसके बारे में निवेदन यह है कि कंफैड से कोई भी स्टाफ आज तक रिट्रैन्च नहीं किया गया है। हां, जिन केसिज में ग्रौस नैगलिजैंस या ऐम्बैजलमैंट पाई गई है उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही की गई है और ऐसे आदमियों को सर्विस से रिमूव भी किया गया है। जहां तक गलत अप्वायंटमैंटस का सम्बन्ध है, इसके बारें मे मैंने अीाी बताया था

कि कंफैड के लिए रिहैब्लीटे ान स्कीम बना रहे है और वह अन्डर प्रोसैस है।

श्री इन्द्र सिंह नैनः क्या मिनिस्टर साहब बातएंगे कि यह जो लौस इन्होंने बतायसा है यह मिसमैनेजमैंट की वजह से हुआ है या किसी नैचुरल कैलेमिटी से हुआ है ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः सर, आपको पता है कि प्रधान मंत्री के बीस सूत्री प्रोग्रामके तहत हमने यह फैसला किया है कि हरियाणा स्टेट के रीमोटैस्ट विलेज में भी, जिसकी आबादी दो हजार से उपर है, असैंि ायल कोमोडिटिज पहुंचाएंगे। इसमें कोई मार्जिन औफ प्रौफिट नहीं है और न ही हमारी मं ाा है कि इसे प्रौफिट बेसिज पर चलाया जाए। यह स्कीम तो लोगों को सहूलियत देने के लिए है।

श्रीमति चन्द्रावतीः क्या मंत्री जी बतांएगे कि यह जो 48 हजार रूपये का घाटा हुआ है इसकी जिम्मेदारी इन्होंने किसकी ठहराई है ?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री भागी रामः क्या मंत्री जी बताएंगे कि पिछली बार चौधरी भजन लाल जी ने जितने भी मैनेजर लगाए थे वे अपने ही आदमी लगाए थें? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, दो हजार से ऊपर की आबादी वाले गांव में जो दुकानें खोली गई थीं वे अब बन्द कर दी गई हैं। क्या यह सत्य है कि इन दुकानों के जो मैनेजर थे वे

सारे के सारे सामान को भाहरों में बेच दिया करतें थें और उसका भोयर पता नही इनको मिलता था या नही मिलता था? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आपके पास अगर इस बात का सबूत है तो फिर आप इस तरह की बात करें इस तरह की इंसिनुए ान्ज अच्छी नही लगती।(विघ्न)

मास्टर ि ाव प्रसादः क्या मंत्री जी बताएगें कि यह जो रिक्रूटमैंट का घपला है इसमें साबक मंत्री श्री बीर सिंह जी का हाथ तो नही हैं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया यह स्कीम बीस सूत्री कार्यक्रम का अंग है। हमने यह फैसला किया हैं कि गरीब आदमी को जो खाने की चीजें या उसके रोजाना इस्तेमाल करने का सामान हैं, वह उसे मिलना चाहिए। इस नजरिए से हमने जो दो हजार से ऊपर की आबादी के गांव हैं, उनमें ऐसी दुकाने खोलने का फैसला किया और दुकाने खोलीं भी हैं। उसकी मं ाा यह नही हैं कि उसमें मुनाफा हो। मुनाफे का तो सवाल ही नही हैं। कोई भाई यहां खड़े हो कर ऐसी बात कहे, तो गलत हैं। श्री भागी राम ने कहा कि मुख्य मंत्री ने अपने आदमी को मैनेजर लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए सारा हरियाणा प्रदे ा एक है बल्कि मैं तो यह कहूगां कि मेरे लिए सारे दे ा के लोग बराबर हैं चाहे व राजस्थान के हैं, यू0पी0 के हैं, पंजाब के है या हमारे प्रदे ा हरियाणा के हैं। हर आदमी को एप्लीके ान

देने का अधिकार हैं। जब कोई पोस्ट एडवरटाइज होती हैं, हर प्रदे ा का आदमी एप्लीके ान दे सकता हैं। जब एप्लीके ांज इन्वायट की हें तो सभी को इन्दरव्यू पर बुलाया जाऐगा। सिलैक्ट करने वाली कमेटी या अफसरान की मर्जी पर हैं जिसकों वे ठीक समझें, सिलैक्ट करें और लगायें। लेकिन मैम्बर साहब को सोच–समझ कर बोलना चाहिए, ऐसे ही नही बोल देना चाहिए। आदमी को अख्लाक होना चाहिए। यह कह देना कि चैयरमैन ने बदमा ाी कर ली या मेरे को हिस्सा पहुंचा या नही पहुंचा, ऐसी बात नही कहनी चाहिए। अख्लाक की बात करनी चाहिए। जैसे मर्जी आये वैसे नही बोलना चाहिए। आप लोग हाउस में बैठे हो, सोच समझ कर बोलना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब एम0एल0एज0 को थ्रैट कर रहे हैं।(ाोर)

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, यह बात ठीक हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब, एम0एल0एज0 को थ्रैट कर रहे हैं। ऐसी भाशा का उन्हे प्रयोग नही करना चाहिए।

चौधरी भजन लालः उन्हे भी तो जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए।

श्री हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, जैसा किप अभी सी0एम0 साहब ने बताया कि यह कमि र्यिल आर्गेनाइजे ान नही हैं बल्कि वैल्फेयर आर्गेनाइजे ान हैं। इनके पास डैटा होगा, क्या

उससे बता सकेगें कि गरीबों को फायदा हुआ है या नही। अगर फायदा नही हुआ है तो इस तरह से थ्रैट न करें और आयन्दा भी इस तरह से थ्रैट न करें।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, श्री भागी राम के सवाल के बारे में मैने भी महसूस किया था कि यह डैरागेटरी सवाल हैं। इसलिए मैनें ही उस सवाल का जवाब आने का मौका नही दिया। अगर कोई मैम्बर लांछन लगाता हैं तो उसे सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। मै आयन्दा के लिए सभी मैम्बर साहेबान से रिक्वैस्ट करूगां कि ठीक प्वायंट पर ठीक ढंग से कवै चन करे। चाहे कोई टैजरी बैचिज का हो या अपोजी ान बैचिज का हों, उसे बा–इज्जत और समझदारी से सवाल करना चाहिए। हमे रिटेलिए ान को अवायड करना चाहिए। मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वैस्ट करूगां कि ऐसी बात न करें जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे।

प्रो0 सम्पत सिंहः क्या मंत्री महोदय, बताने का कश्ट करेंगे कि कन्फैड में जो भी नियूक्ति की गई हैं चाहे वह छोटे कर्मचारी की हो या मैनेजर की हैं, क्या वह नियूक्ति पब्लिकली एडवरटाईजमैंट करके की हैं या एम्पलाएमेंट एक्सचेज से की हैं या वैसे ही जबानी एपलीकें ान ले कर की हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जहां तक कोआप्रेटिव अदायरों में नियूक्ति का सवाल हैं, उसमें कन्फैड भी भाामिल हैं। सभी पोस्टस के लिए एम्पलाएमेंट एक्सचेंज को भी लिखा जाता हैं और

एडवरटाइज भी किया जाता हैं। जब दोनो तरफ से यानी एम्पलाएमेंट एक्सचेंज से नाम और एडवरटाइज की हुई पोस्टस की एप्लीकं ांज आ जाती हैं तो जो भी सिलैक ान कमेटी होती हैं, वह सिलैक ान कर लेती हैं।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, कन्फैड या कोआप्रेटिव स्टोर्ज पर मिट्टी का तेल, चीनी और कन्ट्रोल क्लोथ तो फिक्स रेट पर मिलता हैं परन्तु जिन चीजों की कीमत फिक्स नही होती है उन्हे इन स्टोर्ज पर मंहगे भाव से दिया जाता है क्योकि वे बाजार से खरीद कर बेचते हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन दूसरी चीजों को भी सस्ते भाव पर दिलवाने के बारे मे गौर करेगे?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जो असैं ि ायल कमोडिटिज हैं चाहे वह मिट्टी का तेल या कन्ट्रोल क्लोथ है, वह फिक्स भाव पर दी जाती हैं लेकिन जो नान–कन्ट्रोल आइटम्ज हैं वे हम बाजार से सस्ते भाव पर ही देते हैं। इन स्टोर्ज का मकसद ही यह हैं कि बजार भाव से कम भाव पर चीजे दें।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ः क्या मंत्री महोदय के नोटिस में इन दुकानो के विशय में इस किस्म की ि ाकायत आयी हैं कि मैनेजर गबन करते हैं? अगर आयी हैं तो उनके खिलाफ क्या एक ान लिया हैं? बास गांव में ऐसा गबन का केस हुआ हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिहः अगर इस किस्म की ि ाकायत मिलती हैं तो बाकायदा इन्कवायरी होती हैं। हमने दो महीनों मे ऐसे 150 इम्पलाइज को रिमूव किया है जिन के खिलाफ गबन और भाार्टेज के केसिज हैं।

श्री भले रामः क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात हैं कि कई गांवों में जो हैल्पर और सैल्समेंन के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हे पांच–पांच महीने से तन्खाह नही मिली हैं। अगर नोटिस में है तो क्या उन्हे तन्खाह दिलाने का कश्ट करेंगे?

चौधरी बीरेन्द्र सिहः ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नही हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या यह बात ठीक हैं कि जिन असिस्टेन्ट मैनेजर, मैनेजर और सेल्समैन को चेयरमैन और एम0डी0 ने अप्वायंट किया था, उनकी आज तक भी रजिस्ट्रार कोआप्रेटिव सोसाइटीज ने एप्रूवल नही दी हैं। अगर एप्रूवल नही दी हैं तो क्या उनके खिलाफ एक ान लेगें?

Mr. Speaker: This is a separate question.

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर महोदय ने अपने जवाब में बताया कि मोड आफ रिक्रूटमेंट एडवरटाइजमेंट और एम्पलाएमेंट एक्सचेज हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन 70 हजार एप्लीकेंटस का इन्टरव्यू लिया, उनमें से कितने लगायें? उन 70 हजार एप्लीकेंटस से चार लाख रूपया

आपके पास आया हैं। आप यह बतायें कि उनमें से किजने आदमिचों को अप्वायमेंट दी हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिहः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले भी बताया हैं कि कन्फैड के लिए हम रिहैबलिटै ान स्कीम बना रहें हैं। उसके बेसिज पर ही कोई फैसला होगा कि रिक्रूटमेंट करनी है या नही। जिस इन्टरव्यू का ये जिक्र करते हैं, उसमें कोई अप्वायंटमेंट नही हुई हैं।

Shri Ram Bilas Sharma: I think the Hon'ble Co-operation Minister has stated unknowingly that no person has been retrenched from the confed. A few days beck it was a press relase that 880 persons of the confed are being removed.

चौधरी बीरेन्द्र सिहः इन्होने यह खबर अंग्रजी के अखबार में पढी होगी। ये उस खबर को समझ नही सके कि उसका क्या मतलब निकलता हैं।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, इन्होने 880 आदमियों को नौकरी से हटा दिया हैं। इस तरह से बचने से काम नही चलेगा।

चौधरी बीरेन्द्र सिहः कोई आदमी नही हटाया हैं।

श्री राम बिलास भार्माः अखबार में यह खबर आयी हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिहः मैं आनरेबल मैंम्बर साहब को बताना चाहता हूं कि इस किस्म की न्यूज * * * * * अखबार के

सिवाए किसी दूसरे अखबार में नही छपी है और इन्होने उस को ठीक तरह से नही समझा।

डा0 मंगल सेनः स्पीकर साहब, किसी अखबार के बारे में इस तरह से प्वाइंट–आउट करना बिल्कूल अन–फेयर हैं।(ाोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह अखबार का नाम एक्सपंज कर दिया जावें।(ाोर व व्यवधान)

श्री निहाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कई दफा रिहैब्लीटे ान स्कीम का जिक्र किया हैं। क्या वे यह बताने की कृपा करेगें कि यह स्कीम क्या हैं?

Mr. Speaker: Question Hour is over now.

नियम 45 के अधीन सदन के मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उतर

Appointment of the Chairman of the Haryana Subordinate Services Board.

***29 Chaudhari Om Parkash:** Will the Chief Minister be pleased to state whether any qualifications/conditions have been prescribed for the appointment of a person as Chairman of the Haryana Subordinate Services Selection Board; if so, whether the present Chairman fulfils the prescribed qualifications?

मुख्यमंत्री (चोधरी भजन लाल): अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा के सभापति के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए कोई वि ोश अर्हताएं निर्धारित नही की गई हैं। तथापि, सरकार नियूक्ति के प्रस्तावित व्यक्ति की उपयुक्तता और पूर्ववृत को ध्यान में रखती हैं।

Irregularities in the admission to O.T. Class.

***15. Chaudhri Roashan Lal Arya:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any cases of irregularities committed in admission to O.T. Class in any institute at Hassangarh, in District Rohtak, have come to the notice of the Government;

(b) if so, whether any action has been taken or is proposed to be taken against the persons responsible for committing such irregularities; and

(c) whether any case alleging that the Vice-President of the Managing Committee of the Institute, referred to in part(a) above] had threatened to kill the Principal of that Institute, has come to the notice of the Government, if so, the action, if any taken in respect therof?

State Minister for Education (Sh. Jagdish Nehra):

(a) No case of irregularities in admission came to the notice of the Government.

(b) question does not arise.

(c) Yes. But on enquiry from the District Education Officer, it was ascertained that admission were on merit and in accordance with the rules and procedure.

Problems of the Rohtak City.

***9. Dr. Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any all parties metting was convened at Rohtak in the months of July-August, 1982 to consider the problems of the Rohtak City;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the details of the main complaints made by the people in the said meeting.

(c) whether the Chief Minister was also present in the above said meeting and whether any promise to constitute a Committee for solving the problems referred to in parts(a) and (b) above was made by him; and

(d) whether the said Committee ahs been constituted; if so, the names of members of the said committee?

मुख्यमंत्री (चोधरी भजन लाल):

(ए) रोहतक नगर की विभिन्न समस्याओं के सम्बनध में विचार विर्म ा के लिए रोहतक नगर के सभी दलों से सम्बन्ध रखने वाले प्रतिश्ठित व्यक्तियों की एक बैठक वै य कालिज़ के हाल में दिनांक 08—08—1982 को सायं 4 बजे हुई थी।

(बी) इस बैठक में कोई वि ाश्ठ ि ाकायत नही की गयी। अपितु सामान्य ि ाकायत जैसें कि पीने का पानी, वर्शा के पानी का निकास, सिवरेज तथा नगर को सुन्दर बनाने आदि बारे विचार किया गया था।

(सी) उक्त बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी औरप उक्त द ाोई गइ समस्याओं के सामधान हेतू एक समिति का गठन करने की घोशणा की गई थी।

(डी) अभी तक किसी समिति का गठन नही किया गया हैं।

Budget allocated to the Dairy Development Corporation

***4. Shrimati Chandravati:** Will the Minister for Co-operation be pleased to state—

(a) the budget allocated to Dairy Development Corporation of r the year 1980-81 together with the expenditure incurred on salaries and allowances of the establishment out of the said allocation;

(b) the district wise expenditure incurred on the purchase of milk by the Dairy Development Corporation together with the amount received from the sale therof during the year 1980-81;

(c) the number of empty bottles purchased together with the name of the company and place form where the said

bottles were purchased during the period as referred to in part (a) above; and

(d) whether the said Corporation suffered any losses during the year 1980-81?

सहकारिता मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह):

(क) भाून्य।

(ख) भाून्य।

(ग) भाून्य।

(घ) जी हां–– 25.54 लाख रूपये बगैर लेखा जांच पड़ताल के।

Land to Kumhars Family

***11. Chaudhri Kundan Lal:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give to killas of land to the persons be-longing to Kumhar community in every village for their business in the State; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize?

विकास मंत्री (श्रीमति भाारदा रानी कंवर):

(क) हां, कुम्हार समुदाय को भूमि देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधी हैं, परन्तु कितनी भूमि दी जाए इसका निर्णय सर्वेक्षण के प चात किया जाएगा।

(ख) सर्वेक्षण किया जा रहा हैं जोकि अगले 6 मास में पूरा होनक की सम्भावना हैं और उसके प चात भूमि उपलब्ध कराने के कार्य को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

Grain Market at Beri

***30. Chaudheri Om Parkash:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is nay proposal under consideration of the Government to acquire land for the construction of a Grain Market in Beri, District Rohtak; if so, the time by which the said Market is likely to be constructed?

कृशि मन्त्री(चोधरी सुरेन्द्र सिंह): जी हां, भूमि पहले ही अर्जित कर ली गई हैं। बेरी मंडी का विकास, सभी प्रस्तावित सुविधाओं सहित दिसम्बर, 1984 के अंत तक पूर्ण होने की सम्भावना हैं।

अतारंकित प्र न एवं उतर

Loss of Paddy Crops due to Scanty Rains

1. Shri Lachhman Singh Kamboj: Will the Minister for Revenue be pleased to state--

(a) the extent of loss, if any, caused to paddy crop in the State due to scanty rains during the year 1982; and

(b) whether any steps have been taken by the Government to compensate the farmers for the loss referred to in part (a) above; if so, details thereof?

कृशि मन्त्री (चौधरी सुरेन्द्र सिंह):

(क) खरीफ, 1982 के दौरान कम तथा देर से वर्शा होने के कारण क्षै? में 10% कमी होने का अनुमान हैं। इसके अतिरिक्त अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का रोपण देर से किया गया जिसके फलस्वरूप उत्पादन में कमी आ सकती हैं।

(ख) सरकार डीजल और नहरी पानी की सप्लाई के अतिरिक्त नलकूपों को 10—15 घंटे लगातार बिजली देना सुनि चत कर रही हैं। इसके साथ सरकार ने यह सुनि चत किया हैं कि रासायतिनक खाद, जिन्क सल्फेट तथा कीटना ाक दवायें, किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सके ताकि जब उन्हे जरूरत पड़े तो वे इनका प्रयोग अपनी फसलों के लिए कर सकें।

Electricity received/produced in the State

2. Shri Lachhman Singh Kamboj: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total amount of electricity (in kilowatts) received/produced in the State during the period from 1st June, 1982 todate;

(b) the amount of electricity (in kilowatts) supplied to the agricultural sector and industrial sector, separately,

together with percentage thereof, during the period as referred to in part (a) above; and

(c) the steps, if any taken or proposed to be taken by the Government to improve the availability of electricity in the State?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) Total units of electricity received/produced in Haryana State from 1st June, 1982 to 31st August, 1982 are as under:-

Months	Unit received/produced in lakh units
June, 1982	3,526.88
July, 1982	4,054.82
August, 1982	3,895.49

(b) The electricity supplied and billed excluding line losses to Agricultural & Industrial Sector togetherwith percentage thereof during the month of June and July,1982 is as under:-

Category	June, 1982		July, 1982	
	Units Supplied (in lakh units)	%age	Units Supplied (in lakh units)	%age

Agricultural	860.73	33.05	1,036.57	38.34
Industrial	1,301.81	49.98	1,227.02	45.38

The billing is done in the following month of supplies.

The figures fro August' 1982 are, therefore, not yet available.

(c) Following steps have been taken for improving the availability of power in the state:-

(i) All out efforts are being made to improve the plant load factor of the Thermal Plants working in the State with a view to improve own generation.

(ii) Efforts are being made to reduce the line losses.

(iii) For augmenting the generation infuture the work is being carried out with full speed at the following on going Hydro-Thermal projects:

1. Panipat Thermal Plant Stage-II with a capacity of 220 MW.

2. Panipat thermal Plant Stage-III with a capacity of 210 MW.

3. Western Yamuna Canal Hydro-electric Project Stage-I with a capacity of 16 MW.

4. Western Yamuna Canal Hedro-electric Project Stag-II with a capacity of 16 MW.

(iv) As a measure of long terms planning, a number of new schemes like Yamuna Nagar Thermal Power Plant. Stage-I with a capacity of 420 MW, hydro-electric Nathan Chakra Project with a capacity of 1020 MW to be Jointly executed by Himachal Pardesh, Haryana and NHPC and a few mini hydel schemes have been planned to improve the availability of power in the State.

Draining out rain water from Civil Road Rohtak.

3. Dr. Mangal Sein: Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) whether the Government is aware that rain water gets accumulated on the Civil Road and other parts of Rohtak town: and

(b) if so, the stapes, if any, taken or proposed to be taken to drain out the afore-said accumulated water?

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री(श्री ए0सी0 चौधरी):

(क) जी हां। वर्शा का पानी सिविल सड़क तथा भाहर के अन्य नीचले स्थानों पर इकट्ठा होता हैं।

(ख) सिविल सड़क पर पम्पिग सैट लगाए जा चुके हैं। अन्य स्थानों पर पानी निकालने के लिए पम्पिंग सैट या चलते फिरते पम्पिंग सैट इस्तेमाल किये जाते हैं। पानी निकालने के कार्य के लिए दूसरी स्कीम भी तैयार की जा चुकी हैं। 43 लाख रूपये की लागत पर बरसात का पानी तेजी से बाहर निकालने के

लिये स्कीम प्र ाासकीय तौर पर स्वीकृत हो चुकी हैं तथा जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस कार्य को चालू किया जा रहा है।

Construction of roads by the Market committee, Safidon.

4. Chaudhri Kundan Lal: Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Market committee, Safidon has deposited the requisite amount with the Government for the construction of the following roads-

(i) Hatt to Butani;

(ii) Sarfabad to Enchra Kalan;

(iii) Bhuslana to Dadwara;

(iv) Rampura to Singh Pura;

(v) Muana to Singh Pura;

(vi) Rajana to muanan; and

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be constructed?

कृशि मन्त्री (चौधरी सुरेन्द्र सिंह):

(क) मार्किट कमेटी सफीदों द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए निम्नलिखित रा ि ा जमा कराइ गई है:—

क्र0 स0	सड़क का नाम	स्वीकृत रा ि ा (प्र ाासकीय अनुमोदित)	लोक निर्माण विभाग (भ0 एवं स0) के पास जमा कराई गई रा ि ा
		रूपये	रूपये
(i)	हाट से बुटानी	6,64,930	6,64,930
(ii)	सरफाबाद से एंकरा कलां	7,02,240	7,02,240
(iii)	भसलाना से ददवाड़ा	3,21,000	3,21,000
(vi)	रामपूरा से सिंघपूरा	—	—
(v)	मुआना से सिंघपूरा	—	—
(vi)	रजाना से मुआना	—	—

(ख) कार्य पूरी रा ि ा जमा करवाने के प चात् दो वर्श के अन्दर–अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

Construction of a bridge over a drain

5. Chaudhri Kundan Lal: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of th Government to construct a bridge over a

drain between village Barod and Todikheri on Safidon Bhuslana road; and

(b) if so, the time by which the aforesaid bridge is likely to be constucted?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (चोधरी गोवर्धन दास चौहान):

(क) जी, हां।

(ख) इस का कार्य अग्रिम वित्त वर्श 1983–84 में हाथ में लिया जाना संभावित हैं और इस कार्य वर्श 1984–85 में पूरा हो जाने की सम्भावना हैं।

Construction of Road

5. Chaudhri Kundan Lal: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct the roads from Dharoli to Gangouli and from Dharoli to Butana;

(b) is so, the time which the afore-said roads are likely to be constructed;

(c) whether the Government intend to construct the said roads by obtaining loan from the World Bank under the programme phase No.2; and

(d) if so, the time by which the loan is likely to be taken?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (चौधरी गोवर्धन दास चौहान):

(क) जी, हां।

(ख) ये सड़के दोहरे सम्पर्क की होने व वित्तीय कठिनाई के कारण कोई सम्भावित तिथी नही दी जा सकती।

(ग) नही।

(घ) लागू नही होता।

Tubewell/Industrial/Domestic connections

7. Chaudhri Kundan Lal: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of pending cases of tubewells, industrial and domestic connection as on 01-09-1982 in Safidon and Jind Tehsils, Separately;

(b) the number of cases out of those referred to in part(a) above, which are pending for the last six months and one year, separately; and

(c) the reasons for delay in giving the aforesaid connections togetherwith the time by which these are likely to be given?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला):(क) 01—09—1982 को अनिर्णित पड़े आवेदन पत्रो की सख्या निम्नलिखित हैं:—

तहसील का नाम	ट्यूबवैल	घरेलू	आधोगिक
जीन्द	253	194	10
सफीदों	222	364	12
(ख) (i) पिछले 6 महीनों से अनिर्णित पड़े आवेदन पत्रो की संख्या			
जीन्द	31	137	4
सफीदों	12	187	3
(ख) (ii) पिछले एक वर्श से अनिर्णित पड़े आवेदन पत्रो की संख्या			
जीन्द	222	57	6
सफीदों	210	177	9

(ग) पिछले वित्तीय वर्श के दौरान बोर्ड के पास ट्रांसफार्मरों, मीटरों तथा दूसरे सामान की अत्यन्त कमी थी। अब इन आईटमों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा पिछले रूके हुए काम को दिसम्बर, 1982 के अन्त तक पूरा कने की आ ाा हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैने पुलिस के लगभग 400 एम्पलाईज की मास डिस्रमिसल के बारे में एक काल–अटैन ान मो ान का नोटिस दिया था कि किस प्रकार से

पुलिस एम्पलाईज, जिनका एगजैक्ट नम्बर 379 आया हैं, को हरियाणा सरकार ने मास तौर पर डिस्मिस किया है। उनको कोई भाो–काज नोटिस भी नही दिया गया और न ही कोई चार्ज– ाीट वगैरह दी गयी हैं। आर्टिकल 311 आफ दि कास्टीच्यू ान और पुलिस रूल्ज का सहारा लेकर उनको बिना भाो–काज नोटिस दिये, बिना हीयर किये डिसमिस कर दिया गया हैं। महाराश्ट्र जैसी स्टेट में भ, जहां पर कि सारे के सारे पुलिस एम्पलाईज एजीटे ान कर गये और वहां पर आर्मी तथा बी0एस.एफ0 बुलानी पड़ी। वहां पर इस स्टेट के मुकाबले चार गुना ज्यादा पुलिस फोर्स हैं, लेकिन वहां पर केवल 65 आदमियों की डिसमिस किया गया हैं।

श्री अध्यक्षः मेरा विचार है कि आपने उस काल अटैन्ा ान मो ान का पूछना होगा कि उसका क्या बना। मैंने आपको उसके बारे में अपना डिसिजन कन्वे कर दिया हैं जो आपकों पहुंच गया होगा। वह मैने डिस–अलाऊ कर दिया हैं।(व्यवधान एव भाोर) सारे अपोजि ान ग्रुपों के लीडर्ज, जिनमें चौधरी देवी लाल जी भी थे, उनके सामने मैने सारा मामला डिस्कस किया था। वह काल अटैन्ा ान मो ान का सबजैक्ट बनता नही था।(व्यवधान एव भाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः 400 के करीब परिवार बेघर हो गये हैं और आप कह रहे है कि यह बनता नही हैं।(व्यवधान एव भाोर)

श्री अध्यक्षः आप मेरे पास चैम्बर में आ जाइयेगा, मै आपको बता दूंगा।(व्यवधान एव भाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आज सारा हरियाणा इस बात से एजिटेटिड हैं। इस से सारे हरियाणा में रिजैन्टमैंट फैली हुई हैं(व्यवधान एव भाोर) सारे जाट हैं जो डिसमिस किये गए हैं।(भाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आन ए प्वायंट आफ आर्डरप, सर। अध्यक्ष महोदय एक बात तो यह है कि आपने एक मो ान डिस–अलाऊ कर दिया है। डिस–अलाऊ करने के बाद क्या उस पर डिस्क ान हो सकती हैं? मैं इस बात पर आपकी रूलिंग चाहूंगा। दूसरे इन्होने बार–बार यह इल्जाम लगाया कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी के साथ ऐसा किया गया हैं जैसे कि उस कम्युनिटी के ठेकेदार यही हों। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद उस कम्यूनिटी का हूं।(व्यवधान एव भाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः आप कहां हो।(व्यवधान एव भाोर)

चौधरी भजन लालः यह बात तो हरियाणा प्रान्त की जनता जानती हैं और यहां के वोटर जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको पता होना चाहिये कि मुझे जात वोटों की मैजोरिटी मिली है।(व्यवधान एव भाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह क्या प्वायंट आफ आर्डर था?

Dr. Mangal Sein: Mr. Speaker, Sir I have given notice of a motion under Rule 84 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly regarding the situation created by the mass dismissal of police personnel in the stage. I want to raise this matter. Sir, Rule 84 reads as under—

"A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the Assembly, but the Assembly shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech and no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour unless a Member moves a substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and on such motion the vote to the Assembly shall taken."

स्पीकर साहब, मैंने पुलिस के लोगों को निकाले जाने के मामले में एक मो ान दिया था कि ऐसी सिचुए ान क्रिएट हो गयी हैं। इसलिये मेरी हम्बल सबमि ान है कि हम जो कुछ सारी स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय जरा ध्यान दें। हम यह जानना चाहते है कि आखिरकार उन को बिना कारण बतायें क्यों निकाला गया हैं? उनका कसूर क्या था, चार सौ परिवारों की रोजी क्यों छीन ली हैं? स्पीकर साहब, इसका कोई न कोई तो कारण होना चाहिये।(व्यवधान एव भाोर) मैं आपसे बड़ी ही मोहतबाना अर्ज करूंगा कि मेरी पूरी सुन लीजिये। हमारे राईटस के क्सटोडियन आप हैं। मेरी आपसे हम्बल सबमि ान है कि हमारा इनसे कोई जाति झगड़ा नही हैं।(व्यवधान

एव भाोर) यह मामला बहुत ही इम्पोर्टेन्ट हैं। मुख्य मंत्री जी को काई न कोई ब्या इस हाउस में देना चाहिये ताकि मामला क्लीयर हो जाये।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, इसमें एक नही, दो–तीन मैम्बर्ज की तरफ से मेंरे पास नोटिस आये थें। मैनें उनको थौरोली पढा हैं। लीगल न्यूमीनरीज से भी सलाह की हैं। उसके बाद आप सब को बुलाकर मैने सारी बात की हैं। आप को तो, डाक्टर साहब मैने कनविन्स भी करवा दिया था and you agreed with me.

Dr. Mangal Sein: No, No, Sir, You explained your position and that is all (Interruptions and Noise)

Mr. Speaker: I have disallowed it and I do not want any more discussioin on this.(Interruptions).

Shri Verender Singh: We shall have to stage a walk out on this account.

श्री अध्यक्षः अगर आप पहले से ही वाक–आउट करने का फैसला करके आये हैं तो मैं इस बारे में कुछ नही कर सकता। I have to go according to the Rules and Regulations in this regard,

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, यह चार सौ परिवारों के साथ हुए अन्याय की बात जो अल्टीमेटली उनके बच्चों के साथ हुआ हैं।(व्यवधान एव भाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैने भी इस बारे में एक काल अटैन ान मौ ान दिया था कि जो 400 के करीब पुलिस मैन निकाले गय हैं .. . .(व्यवधान एव भाोर)

श्री अध्यक्षः उसकी भी यही पोजि ान है।

श्री हीरा नन्द आर्यः फिरप हम वाक–आउट करते हैं।

श्री अध्यक्षः यह आपकी मर्जी हैं।

(इस समय अपोजि ान के सभी सदस्य सदन से वाक–आउट कर गयें।)

घोशणाएं–

(क) अध्यक्ष महोदय

(i) पैनल आफ चेयरमैन

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कनडक्ट आफ बिजनैस के रूल 13 (1) के अधीन, मै निम्नलिखित मैंम्बर्ज साहेबान की पैनल आफ चेयरमैन में कार्य करनके के लिये नौमीनैट करता हूं–

1. चौधरी ई वर सिंह

2. राव इन्द्रजीत सिंह

3. श्री धर्मबीर गाबा, और

4. श्री साहब सिंह सैनी।

(ii) कमेटी आन पैटी ंज

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कनडक्ट आफ बिजनैस के रूल 286 (1) के अधीन, मै निम्नलिखित मैंम्बर्ज को कमेटी आन पैटी ान्ज में कार्य करने के लिये नौमिनेट करता हूंः–

1. चौधरी वेद पाल डिप्टी स्पीकर, एक्स–आफिि ायो चेयरमैंन

2. श्री धर्मबीर गाबा,

3. श्री निर्मल सिंह,

4. श्री रो ान लाल आर्य, और

5. श्री बलबीर सिंह ग्रेवाल।

(ख) सचिव द्वारा

(i) संविधान (46वां सं ोधन) विधेयक, 1982 के अनुसमर्थन दस्तावेजों सम्बन्धी

सचिवः मै संविधान (छियालीसवां सं ोधन) विधेयक, 1982 के अनुसमर्थन के संबंध में रात्य सभा से प्राप्त हुए

निम्नलिखित दस्तावेजो की एक–एक प्रति सादर सदन की मेंज पर रखता हूं:–

(i) महासचिव, रात्यसभा, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ पत्र दिनांकित 18 अगस्त, 1982।

(ii) लोक सभा में परःस्थापित रूप में सविधान (छियालीसवां सं ाोधन) विधेयक, 1982 (अगेंजी तथा हिन्दी दोनों भाशाओं में)

(iii) संसद के सदनों द्वारा पारित रूप में सविधान (छियालीसवां सं ाोधन) विधेयक, 1982 (अगेंजी तथा हिन्दी दोनों भाशाओं में)

(iv) सविधान (छियालीसवां सं ाोधन) विधेयक, 1982 पर लोक सभा डिबेट्स तथा

(v) सविधान (छियालीसवां सं ाोधन) विधेयक, 1982 पर राज्य सभा डिबेट्स।

(ii) राश्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी

मै उन विधेयकों को द ार्ाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा पने अपने बजट (मार्च–अप्रैल) सै ान, 1982 में पास किए थे तथा जिन पर राश्ट्रपति महोदय ने अनुमति दे दी हैं, सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

स्टेटमैंट

1. दि हरियाणा पब्लिक वक्फस (एक्सटैं ान आफ लिमिटे ान) बिल 1982.।

2. दि पंजाब सिनेमाज (रेगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल 1982।

3. दि हरियाणा प्राईवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमैंट) हरियाणा अमैंडमैंट बिल 1982।

16.00 बजे

डा. मंगल सैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, चण्डीगढ़ पंजाब में मिलने जा रहा हैं ऐसा सनसनीखेज समाचार अखबारों में आया हैं, इसके बारे में मैने आज एक एडजर्नमैंट मौ ान दी थी। मुख्यमंत्री को सदन को कौंफीडैंस में लेना चाहिए कि कब इस तरह का फेसला हुआ हैं। आप कब यहां से ि ाफ्ट करने जा रहे हैं। चण्डीगढ़ पंजाब को देने का फैसला किसने किया है। क्या फाजिलक अबोहर हरियाणा को मिलेगा या नही इन सब बातों के बारे में सदन की कार्यवाही रोककर विचार किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः मैं उसको कंसिउर कर रहा हूं, कल फैसला दुंगा।

डा. मंगल सिंहः स्पीकर साहब, डाउरी के मामले में बहुत ज्यादा डैथ के केसिज हो रहे हैं। सिरसा में बाला कांड हुआ हैं। गन्नौर में कौ ाल्या नाम की औरत को जहर देकर मार दिया गया और पुलिस की कनाइवैंस से उसको फूंकने जा रहे थें लेकिन लोगों ने भाोर मचाया और फूंकने से रोका गया। स्पीकर साहब, यह बहुत महत्वपर्ण मामला हैं। मुख्य मन्त्री को इस मामले में हमारे साथ ऐग्री करना चाहिए ओरप समय निकालकर सदन में इस बारे में विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, आप बैठिए, इसके बारे में आपको जवाब भेज दिया हैं।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, समय आने पर इनकी बातों का जवाब दिया जाएगा।

ध्यानाकर्शण सूचना

राज्य में कृशि क्षैत्र में बिजली की सप्लाई मे लगातार कटौती से किसान वर्ग में सामान्य रूप से रोश उत्पन्न होने सम्बन्धी–

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे सर्वश्री वीरेन्द्र सिंह और हीरा नन्द आर्य की ओर से एग्रीकल्चर सैक्टर में बिजली की परसिसटैंट कट्स से हरियाणा की पीजैन्टरी में पैदा हुई निरा ाा

के बारे में दो काल अटैन ान मो ान के नोटिसिज मिले हैं। मैं इनको क्लब करके मन्जूर करता हूं क्योंकि श्री वीरेन्द्र सिंह का नोटिस पहले प्राप्त हुआ था वे कृपया अपना नोटिस पढदे। उसके बाद मन्त्री महोदय अपनी स्टेटमैंट दें।

Shri Verender Singh: I want to draw the attention of this House towards a matter of urgent public importance regarding the persistent cuts in the supply of electricity in the Agriculture Sector in the State has caused gloom over the peasantry at large in Haryana. Scanty of rains has added to their misery. These days, the farmers in Haryana are not getting the electricity supply even for two hours regularly. The cause of low voltage of the electricity, the tube well motors of thousands of peasants have been totally damaged throughout the State. Whereas the industrial Sector is getting full supply of electricity, the Agricultural Sector has been totally ignored. There is hue and cry by the farmers but no body is paying any heed. The crops are near ripening and need for water is urgent. There is a feeling amoungst the peasantry that they are being ignored and Industrial Sector is being fed at their costs. Peasantry are feeling agaitated and quite concerned and the matter has become of urgent public importance on account of great resentment amount the peasantry.

I, therefore, call the attention of the Irrigation & Power Minister to make a statement on the floor or the House and take this August House into confidence.

Shri Hira Nand Arya: I want to draw the attention of this August House towards a matter of public importance

that on accoutn of great crisis of elcetricity in the state the problem of drinking water particularly in the villages of district of Bhiwani and Mahindergarh has arisen and crops of Gawar, Moth and Bajra have been mostly idamaged. If electricity is not supplied in this manner for sowing Asarhi(Rabi) crop the great crisis will arise. Therefore, the Government should take immediate action and inform the House during this Session about the action taken in this repect.

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री उपाध्यक्षः मिनिस्टर साहब, अपना स्टेटमैंट देना चाहे ता दे दें।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपना काल अटैन्ा न मो ान पढ दूं उसके बाद मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगें।

श्री उपाध्यक्षः जो पहले काल अटैन्ा ान मौ ान आता है वही पढ दिया जाता हैं इसलिए आपको पढने की जरूरत नही हैं that is deemed to have been read.

वक्तव्य

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण सूचना सम्बन्धी

श्री उपाध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब, जवाब देंगें।

Irrigation & Power Minister(Chaudhri Shamsher singh Surjewala): Before I furnish detail of special efforts made by Haryana Government in meeting the power needs of farmers adequately, I will be failing in my duty in case I do not state that the accusations made by the Hon'ble Member that the interests of the farmers have been neglected is totally ill-founded, incorrect and without any basis. Our Government has all along endeavored to reach farming community in a big way in order to meet all their input requirements including power requirement. Depending upon the agricultural operations and fluctuating demand of power in agriculture sector, our Government has all along regulated the supply of power with a positive tilt in favour of farming community Depending upon the requirement of agriculture sector, more than 50% of the total available power has been diverted to the agriculture sector by imposing restrictions on other categories of consumers including industry. While the power needs of the farmers have increased manifold in the recent past on account of failure of monsoons, we have met the situation by securing additional power from all available resources. I would state that the power supply position in Haryana during this year has remained comparatively more satisfactory as generation from hydro power stations was comparatively better and Haryana has been drawing about 80 lakh units from Bhakra alone and there have been no power restriction upto the month of August 1982.

2. Towards the end of August 1982, the river inflows reduced thereby effecting the hydro generation. at the same time due to inadequate creased tremendously. The normal demand of agriculture sector which fluctuates between

70 to 80 lakh units per day crossed 100 lakh units which has pushed the total demand of the state for all sector beyond 170 lakh units per day. Due to prolonged dry spell and with the power availability ranging around 140 lakh unit per day, the State Government got seized of the situation and went into immediate action. I held consolation with my Hon'ble colleagues, Minister or Agriculture, Minister of Industry assisted by their Heads of Departments which included Chairman, Haryana State Electricity Board, Director of Agriculture and Director of Industries. The matter was discussed threadbare and giving due priority to the various sector of use, after detailed discussions, a consensus was arrived in this meeting that the need of the agriculture sector would be stained if the Board could ensure supply of electric power to agriculture consumers in paddy growing areas for 12 hours daily and in non-paddy growing areas 9 hours on alternate days and 2 hours on off-days to meet drinking water needs. It was therefore, decided to regulate the consumption of electricity by various Sectors. This was the only way considered the best to meet the growing agriculture demand. Accordingly, State Electricity Board was advised to introduce regulatory measures in managing the distribution of power amongst various utility sectors. There measures included peak load hours restrictions by industrial consumers, switching off urban feeder for 4 hours during day, increasing off-days of the industry of imposing percentage cut on continuous process industries etc. In addition, advancing of closing time of shops and commercial establishment was also considered. Likewise, energy conservation was to be further augmented by switching off alternate street light points in urban/rural areas. These measures were accordingly introduced in the State w.e.f. 04-

09-1982, which have been further modified w.e.f. 15-09-1982 to take care of the increasing agriculture demand.

3. Through these regulations, some power restrictions on the use of power by industrial and general consumers have been imposed. The industries are required to observe two off-days in a week and urban feeders are cut off from 9.00 A.M. to 1.00 P.M. In addition, the peak load restrictions between 6.00 P.M. to 10.00 P.M. are also imposed on the industries, thereby subjecting the industries to about 40% cut as a whole, whereas, the supply to the tubewells has been programmed for 12 hours daily to paddy growing areas and 9 hours on alternate days for non-paddy areas primarily for meeting the need of Kharif Crops. The tubewells are running in two groups because of transmission and distribution system constrainst. Further, supply of electricity for street light has been reduced by switching off alternate lights and neon bulbs and decorative illuminations totally stopped for conversing the energy for productive purposes.

The notice to all the customer including the tubewells about these changes have been given through press and All India Radio on 1st and 2nd September, 1982. Further instruction have also been issued to all the field officers on 03-09-1982 to inform the consumer immediately. The running timings for various groups of rural feeders are also displayed formation of the consumer. The paddy areas have been inspected by the field officer and other State and Central Agencies and it has been reported that the supply to the tubewells generally has remained satisfactory during the paddy season.

4. Hon'ble Members will remember that the present system is working as an integral part of the Northern States Grid System. Therefore, unrestricted drawals by any of the constituents stand to create problems for the other because of resulting disturbances on the system. This phenomenon has led to the experience of frequent trippings in the recent times due to feeder switch offs which had to be resorted to by the Bhakra Beas management Board to maintain stability parameters of the system. Although such instances are difficult to control but the matter has been persistently followed with the concerned authorities including the Government of India at the level of the Union Minister to minimise the trippings of supply which have been found to be a great irritant. I have great pleasure to inform the House that the efforts have been successful in bringing down the incidence substantially in the last fornight.

5. Dry spell continues unabated. The demand position has further aggravated and is increasing. We have exerted our efforts in all directions and taken up the matter with the Union Government, Energy Ministry, Agriculture Ministry and the Central Electricity Authority. We have secured additional power from all possible available source through the Central Government and Central Electricity Authority for meeting our agriculture needs. The resulting position is quite encouraging as the daily availability figures given below will prove:-

Date	Daily availability (in	Date	Daily availability (in

	lakh units)		lakh units)
8-9-82	134.29	13-9-82	156.00
9-9-82	143.68	14-9-82	167.28
10-9-82	140.65	15-9-82	159.15
11-9-82	165.32	16-9-82	160.00
12-9-82	162.04	17-9-82	159.51

6. I may mention here that the Government has been fully concerned to ensure adequate supply to the agriculture sector as far as possible. Monitoring of the supply in the State has been an essential ingredient of our programmed. Inspection teams have been deputed by the Government of India, Ministry of Agriculture. We have also orgainised such teams at the State level comprising of officers from the State Electriciy Board and the Agriculture Department. The teams have conveyed that supply has been made available to the consumers over the duration that supply has been made available to the consumers over the duration as programmed. However, there have been iterruptions for varied reasons which could not be controlled. Such interruptions are inesapable when the system working itergarted for all the States in the Northern Region and system disturbances fro one reason or the other do take place. I can assure this House that we will not be found wanting in this endeavour.

7. I have no doubt that this August House would appreciate the efforts of the State Government and the

Haryana State Electricity Board, do deal with the problem of power shortage with confidence.

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदय अपने जवाब के द्वारा इस औगस्ट हाउस की एप्रीसिए ान हासिल करना चाहते हैं। उन्होने अपने जवाब में यह कहा हैं कि एग्रीकलचर सैक्टर में किसानो को 12 घंटे बिजली आलटरपनेटिव डेज में मुतबातर मिल रही हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हम यह भी मान लेते है। कि एग्रीकलचर सैक्टर मे 12 घंटे बिजली मिल रही हैं लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात उनकी नोलेज में हैं कि जो बिजली एग्रीकलचर सैक्टर में दी जा रही हैं वह रेगूलर नही दी जा रही है बल्कि 15 मिनट या 20 मिनट बिजली एट ए टाइम मिलती हैं। कभी आधा घण्टा चली जाती हैं, फिरप आ जाती हैं और फिर चली जाती हैं। इस प्रकार इसी तोड़फोड़ में बेचारे गरीब किसानों को समय बरबाद हो जाता हैं और उनकी फसल का नुकसान होता हैं। क्या मन्त्री महोदय के नोटिस में ऐसी बात हैं?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर ने अपने ध्यानकर्शण प्रस्ताव में कहा हैं कि किसानों को बिजली की सप्लाई लगातार दो घंटे भी नही मिल रही है जबकि सच तो यह है कि सरकार ने और एच0एस0इ0बी0 ने यह निर्णय लिया है कि पैडी एरिया में रोजाना 12 घंटे और नान–पैडी एरिया मे आल्टरनेटिव डेज पर 9 घंटे बिजली दी जाए।

फिर भी किसानों के हितों को ध्यान मे रखते हुए हमने उनको 16, 18 और 20 घंटों तक भी एक दिन में बिजली की सप्लाई दी है और किसान खु ा हैं। बीच में कुछ पिरियड एक दो दिनो को हो सकता हैं जिस मे बी0बी0एम0बी को कट की वजह से या किसी वजह से कटौती के कारण बिजली न मिली हो। उसकी वजह से कुछ डिसटरबैन्स रही होगी। ए और बी ग्रुपस में दिन में और रात को बिजली मिलती रही हैं। इस प्रकार से सब को एक सार बिजली दी जाती रही है और सब के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता रहा हैं। किसानों की बहबूदी का हर लिहाज से ख्याल रखा जाता हैं। फिरप यह बात कह देना कि किसानो को केवल एक दिन मे 15, 20 मिनटों से ज्यादा बिजली नही दी जाती है, बिल्कूल गलत और निराधार है।

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में यह साबित करने की कोि ा ा की हैं कि वे किसानों के बड़े हमदर्द है और वे किसानों के लिये बड़ी मेहनह कर रहे है तथा किसानों को उनकी जरूरत से ज्यादा बिजली दे रहे हैं। क्या यह बात उनके अपने जवाब से ही स्पश्ट नही हो जाती है कि जहां वे अपने को किसानों के बड़े हमदर्द बताते है, वहां वे किसानों को 48 घंटो मे केवल 9 घंटे बिजली सप्लाई करते हैं। वह भी बीच बीच में फलकचुएट होती रहती हैं जिसके कारण से ट्यूबवैल की मोटरे सड़ जाती हैं। इसी तरह से लो वोलटेज के कारण ट्रांसफार्मर्ज भी सड़ जातें हैं और गरीब किसानों का उल्टा

नुकसान होता है। आज भी 1000 के करीब ट्रांसफार्मर्ज सड़े पड़े हैं। क्या यह सरकार की तरफ से किसानों की भलाई की बात की जा रही हैं? एक तरफ तो किसानों को बिजली की सप्लाई 48 घंटो में केवल 9 घंटे हो रही हैं औरप दूसरी तरफ बिजली के रेटस 40–42 परसैन्ट बढा दिये गये है। इसलिये मै सरकार से आपके माध्यम से यह रिक्वैस्ट करूगां कि क्या वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी? महेन्द्रगढ़ और भिवानी जैसे इलाकों में जहां पहले ही सूखा पड़ा हुआ हैं, क्या उन इलाकों में वि ोशरूप से बिजली की सप्लाई ज्यादा की जाएगी हरियाणा में दूसरी जगहो पर यहां पहले 9 घंटे बिजली दी जाती थी वहां अब 3 घंटे दी जा रही हैं, क्या उन इलाकों मे बिजली की सप्लाई को और बढाया जाएगा। एक तरफ तो किसानों के साथ हमदर्दी दिखा रहके है और दूसरी तरफ बिजली के रेट्स बढा रहे हैं। एक जगह तो बिजली की सप्लाई कम हैं और दूसरी जगह ज्यादा हैं। इस तरह से सौतेली मां वाला व्यवहार जो यह सरकार किसानो के साथ कर रही हैं, इनके क्या कारण है। क्या लोगों के हितो को ध्यान में रखा जाएगा?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः उपाध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर थोड़ा अटक गये। जो उनका मो ान था, उसमें टैक्स का कोई जिक्र नही हैं। सवाल यह है कि जो नान पैडी एरिया हैं वहां पर आलटरनेटिव डेज मे हम 9–10 घंटे बिजली देते हैं और जो पेडी एरिया हैं, वहां पर 12–14 घंटे बिजली सप्लाई

की जा रही हैं। भिवानी में इससे जयादा बिजली मिलती हैं फिर आर्य साहब पता नही किस बात के कारण सौतेली मां वाले व्यवहार का जिक्र कर रहे थे। हम ने तो किसी एरिया के साथ किसी भी प्रकार का सौतेली मां वाला व्यवहार नही किया हैं। जिस सरकार मे वे मन्त्री थें, अगर मैं उस सरकार के जमाने का जिक्र करूं तो पता चलेगा कि उस सरकार ने टोटल हरियाणा मे रोजाना केवल 90 लाख युनिट बिजली जनरेट की। इससे ज्यादा टच ही नही किया लेकिन अब हमारे वक्त में एक करोड़ 60 लाख और 1 करोड़ 70 लाख यूनिट के बीच रोजाना बिजली मिल रही है। इस साल इस डिफीकल्ट समय में जबकि बारि ा नही हुई इसलिये यह बिजली की दिक्कत किसानों को महसूस हो रही है। अगर बरसात होती हो किसान अपने आप ही यह कहते कि हमें बिजली की जरूरत नही हैं बिजली बन्द कर दों क्योंकि बरसात को कोई सबस्टीच्यूट नही है। इन सारी बातों के बावजूद भी हमने किसानों को मैक्सीमम राहत देने का फैसला किया हैं, जिससे किसान बहुत खु ा हैं।

श्री हरिचन्द हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, मैने यह सारी रिपोर्ट पढ ली हैं और अच्छी तरह से समझ भी ली हैं लेकिन मैं एक बात मन्त्री जी से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि इनके थर्मल प्लांटस हैं, वह भी मैने देखे है। उनकी पोजी ान यह है कि वे बिजली प्रोवाईड नही कर रहें हैं। नाथपा झांकडी़ पर 5 करोड़ रूपये के करीब लग चुका हैं ओर वहां कुछ नही नही हैं।

जो थोड़ी बहुत बिजली आती हैं, वह भाखड़ा से आती है। इसलिये इस तरह की स्टेटमैंट देकर किसानों को धोखा दिया जा रहा है। आपकी सरकार यह क्यो नही मानती कि हम किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार बिजली मुहैया नही कर सकते। यह ता स्टेटमैंट दी हैं, यह हाउस को मिसलीड करने वाली और हाउस को मिस गाइड करने वाली स्टेटमैंट हैं।(ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मै जो बात कहूंगा उसके बारे मैं मन्त्री जी ने कह देना है कि यह गलज है और वे जो बाते कहेंगे, वह सत्य हैं। इसलियसे मैं तो केवल उन से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस वक्त एग्रीकलचर सैक्टर बड़े डिफिकल्ट समय को फेस कर रहा हैं। इसलिये आने वाल 20—25 दिनों के लिये पैडी एरिया और नान पैडी एरिया में सरकार को चाहिये कि वह किसानों को मुतवातर, बिना किसी इंट्र॰ ान के 14—15 घंटे रोजाना बिजली मुहैया करे ताकि इसमें स्टेट का भी भला हो और किसानों की फसले भी अच्छी हो। क्या इस तरह का आ वासन मंत्री महोदय देने को तैयार हैं।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सुझाव चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने दिया हैं, उसका स्वागत करता हूं। हरियाणा स्टेट बिजली बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया हैं कि अक्तूबर के पहले हफते तक या जब तक कि पैडी की फसल पक कर तैयार नही हो जाती किसानोंग को बिजली पूरी तरह से सप्लाई की जाएगी और किसी किस्म की कोताही बिजली की

सप्लाई मे नही की जाएगी। जहा तक इंट्रप ान का सवाल हैं, मै चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को यह बताना चाहता हूं कि यह जो इंट्रप ान हैं, यह बिजली की कमी की वजह से नही हैं। इसके और कारण भी हो सकतें हैं। आपको इस बात का पता है कि बहुत सी वजुतात से बिजली में इम्प्रूवमैंट ही जरूरत है। उसके लिये हमारी सरकार ने और बिजली बोर्ड ने एक फेजड प्रोग्राम बनाया हें और आने वाले सालो वमें जब वह सिस्टम अपग्रेड हो जाएगो तो फिर कभी भी बिजली की इन्ट्रप ान नही होगी।

श्री हीरा नन्द आर्यः जहां नान पैडी एरियाज हैं, वहां पर बिजली की सप्लाई पूरी न होने की वजह से सारी फसलें जम गई हैं। जहां थोडी बहुत बची हुई हैं क्या उनको आगे के लिये 14–15 घंटे रोज बिजली देना भुरू करेगें?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सरकार को किसानो से पूरी हमदर्दी हैं। ऐसे एरियाज में जो टयूबवैल हैं वे अकेले फसलों को नही बचा सकते। इस बात को कहने में मेझे कोई संकोच नही हैं। वहां पर रेतीली जमीन है और ट्यूबवैल का डिसचार्ज बहुत थोड़ा होता हैं। ट्यूबवैल सप्लीमैंटरी मैयर्ज के लिये जो कामयाब हो सकता हैं। इसलिये जहां अकेली बरसात की वहज से फसल होती हो वहो कि लिये अगर ट्यूबवैल का नाम लेकर यह कहे कि फसल खराब हो गई, यह बात ठीक नही हैं। फिर भी सरकार आ वासन देती हैं कि अगली फसल के लिये ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाएगी।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

श्री उपाध्यक्षः अब मै विभिन्न कार्यो के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा नियत किए गए टाईम सम्बन्धी पहली रिपोर्ट पे ा करता हैं।

"The Committee met at 11.00 AM. on Monday the 20th September, 1982 in the Chamber of the Hon. Speaker.

The Committee, after some discussion, recommended that the business on Monday, the 20th, Tuesday] the 21st and Wednesday, the 22nd September, 1982 be transacted by the Assembly (Sabha) as follows;

Monday, the 20th September, 1982 at 2.00 P.M.

1. Obituary Reference

2. Questions Hour.

3. Presentation and adoption of the First Report of the Business Advisory Committee.

4. Papers to be laid on the table of the House(Ordinances, Notifications and Reports Etc.)

5. Presentation to be laid Supplementary Estimates (First Installment) 1982-83 and the Reports of the Estimates Committee thereon.

6. Presentation of two Preliminary reports of the Committee of Privileges and Extension of time for presentation of the Final reports.

7. Legislative Business

Introduction, consideration and passage of:-

(1) The Punjab Security of Land Tenurs (Haryana Amendment) Bill, 1982.

(2) The Pepsu Tenancy and Agricultural Lands (Haryana Amendment) Bill, 1982.

Tuesday the 21th September, 1982 at 9.30 A.M.

1. Questions Hour.

2. Papers to be laid on the Table of the House.

3. Resolution regarding the ratification of the Constitution (Forty-Sixth Amendment) Bill, 1982.

4. Discussion and Voting on Supplementary Estimates(First Installment) for the year 1982-83.

5. Legislative Business

(1) The Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Bill] 1982 (alongwith the notice of disapproval of the Ordinance by Shri Mangal Sein)

(2) The Faridabad Complex (Regulation and Development) Second Amendment Bill] 1982.

Wednesday] the 22nd September] 1982 at 9.30 A.M.

1. Question Hour.

2. Motion under Rule 15(regarding Non-stop sitting)

3. Motion under Rule 16(regarding sine die).

4. Legislative Business

(1) The Haryana Appropriation (No.4) Bill, 1982 in respect of the Supplementary Estimates(First Installment) 1982-83.

(2) Other Legislative Business, if any."

Dr. Bhim Singh Dahiya: On a point of order, Sir.

Mr. Deputy Speaker: This report has been prepared by the Business Advisory Committee after the concensus of the Members of all parties in the House. No question has arisen where a point of order can be raised.

Dr. Bhim Singh Dahiya: In the rules it has been stated that on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, the Assembly shall meet at 2.00 P.M. but from teh report presented by you, it is apparent that on Tuesdays and Wednesdays, the Assembly will meet at 9.30 A.M. I would like to know the reasons for the change in the time.

Mr. Deputy Speaker: Rule 15 of the Rules of Procedure and Conduct of Buiness in the Haryana Legislative Assembly also says:-

"Unless the Speaker otherwise directs ....."

So, even the Speaker has the power to change the time.

Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion for the consideration of this report.

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

Sir, I beg to move:-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः–

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारि ाों के साथ सहमत है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): डिप्टी स्पीकर साहब, आपे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई और सरकारी पक्ष चाहता है कि इसको मन्जूर कर दिया जाए। मुझे इस बारें में दो बातें कहनी है। पहली बात तो यह है कि साल में दो तीन बार सै ान होता है और जब भी सै ान भाुरू होता है, उससे कुछ दिन पहले स्पीकर साहब द्वारा बिजनैस एडवाइजरी कमेटी कांस्टीच्यूट की जाती है। इस बार जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी कांस्टीच्यूट की गई, उस बारे में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे दल का कोई भी आदमी न तो उसमें नौमिनेट किया गया है और न ही स्पै ाल इनवाइटी के तौर पर रखा गया है। (विघ्न) हमारे दल के नौ मैब्र है तो मेरी आपसे गुजारि ा है कि आप स्पीकर साहब तक यह बात पहुंचाए कि आगे से जब यह कमेटी कांस्टीच्यूट की जाएं तो हमारे ग्रुप के आदमी

उसमें होने चाहिए। यहां पर कांग्रेस (जे) का केवल एक मैम्बर है और उसको इस कमेटी में लिया गया है लेकिन हमारे ग्रुप के एक भी आदमी को नहीं लिया गया। (विघ्न) अगली बात यह है कि इतना भारी बिजनैस कम्पलीट करने के लिए केवल तीन दिन का सै ान रखा गया है। आज जो दो बिल पे ा किए जा रहे हैं अब तक उनका मसौदा मैम्बरों को नहीं दिया गया है। हमें यह भी नहीं पता कि उन बिलों में किस किस्म की अमैंडमैंट करने जा रहे है। हमें उन बिलों का मसौदा अब तक नहीं मिला है और दूसरी और ये उनको आज मूव भी करना चाहते हैं, कंसिडर भी आज ही करना चाहते है और पास भी आज ही करवाना चाहते हैं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, हर सै ान में यह सवाल उठाया जाता है कि यह डैमोक्रेटिक फ्क ानिंग नहीं है बल्कि यह एक मौकरी बन कर रह गई है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप खुद वकील हैं और जानते हैं कि लैजिसलेटिव बिजनैस किनता जरूरी होता है ओर किस प्रकार से उसके लिए मैम्बर साहेबान की मेहनत की जरूरत होती है और किस प्रकार से उसके लिए मैम्बर साहेबान को मेहनत की जरूरत होती है। एक एक लैजिसले ान से आम आदमी की तकदीर बनती और बिगड़ती है। इसलिए मैम्बरों को अगर उसकी स्टडी का भी टाइम न दिया जाए तो आप सोच सकते है कि यह कितनी बूरी बात है। मैं आपसे गुजारि ा करूंगा कि यह जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है इसे रिजैक्ट किया जाए। जो कांग्रेसी बैचों पर बैठे हैं मैं उनसे भी रिकवैस्ट करूंगा कि वे काबिल लोग है और वे अपनी जमीर को बेदार करें तथा जो

डैमोक्रेसी का हनन हो रहा है, उसको रोकें। कोई आपति नहीं आ जाएगी अगर दो दिन का सै ान और बढ़ा दिया जाए अगर दो दिन का सै ान और बढ़ा दिया जाता है तो उससे खुल कर बहस हो जाएगी। मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि इस रिपोर्ट को रिजैक्ट कर दिया जाए।

Dr. Bhim Singh Dahiya (Rohat): Mr. Deputy Speaker, Sir, I have to bring to your kind notice that most of the hon. Members did not receive the relevant papers for the business to be transacted in the House. We received them only this moring while entering the House. I request and seek an assurance that in future they will be supplied to us a week before the commencement of the Assembly Session. We must know about the business to be transacted, in advance. We have to go through them. I don't think the Government is going to lose on that account. We may be helping the Government and it may be that we may give useful suggestions.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने जो दो आपत्तियां उठाई हैं, उनका बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं हैं। जाहं तक बिनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में उनको और उनके दल के किसी मैम्बर को न इनवाइट करने की बात है, इस बारे में वे स्पीकर साहब के नोटिस में ला सकते हैं, इस रिपोर्ट से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। जो रूल हैं उसके मुताबिक जितने मैम्बर इस कमेटी में होने

चाहिए वह इस कमेटी के मैम्बर है, बहुत ज्यादा मैम्बर इस कमेटी में नहीं हो सकते। इन्होंने जो दूसरी बात कही उसका भी इस रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी गुजारि ा है कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में किसी भी मैम्बर ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, इसलिए इसको पास किया जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, क्या इस बात का इस कमेटी से ताल्लुक नहीं है कि जो बिल पास किए जा रहे हैं, उनकी कापी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है ? (ाोर)

श्रीमति चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी की यह बात ठीक है कि हमें विधान सीाा की तरफ से जो एजेन्डा मिलता है वह टाईम पर नहीं मिलता। डिप्टी स्पीकर साहब, यह कनवैन् ान रही है कि जब हम घर से आते हैं तो हमें रात को या सुबह एजन्डा दिया जाता है जिसे हम ठीक तरह से स्टडी नहीं कर सकते। जो एजन्डा सप्लाई किया जाता है उसको हर मैम्बर पढ़ना चाहेगा। इसलिए आप विधान सभा के स्टाफ को आगाह कर दें कि आयंदा हमें एजन्डा टाईम पर मिलना चाहिए ताकि हम उसकी अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, यह हमारा अधिकार भी हैं कि हमें एजन्डा टाईम पर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, जो बात चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कही कि हमारी पार्टी के किसी मैम्बर को बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में इनवाइट नहीं किया गया, उनकी यह बात मैं अपने चैम्बर में बैठा सुन रहा था। इस बारे में मैं अपने आनरेबल मैम्बर को बताना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के चौधरी देवी लाल जी वहां पर बैठे थे। इस रिपोर्ट के बारे में उनसे सारी बातें हुई थी।

श्री वीरेन्द्र सिंहः धन्यवाद जनाब। मुझे इस बारे में पता नहीं था।

श्री अध्यक्षः जहां तक एजन्डा टाईम पर न मिलने की बात है। आयंदा के लिए इस बारे मे ध्यान रखा जाएगा।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जो बिल इन्ट्रोड्यूस करके आज पास करवाएंगे उनकी कापी अभी तक हमारे पास नहीं आई है।

श्री अध्यक्षः ये दोनों बिल एक एक लाईन के हैं। इनमें कोई खास बात नहीं है।

Sh. Verender Singh: But, Sir the practice is bad.

Mr. Speaker: You will have no inconvenience in future.

श्री अध्यक्षः प्र न हैः—

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारि ाों के साथ सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table of the House:-

1. The Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Ordinance, 1982 (Haryana Ordinance No. 3 of 1982.)

2. The General Administration Department (General Services) Haryana Notification No. G.S.R. 42/Const./Art. 320/Amd. (1)/82 dated the 18th March, 1982 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1982, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

3. The General Administration Department (General Services) Haryana Notification No. G.S.R. 50/Const./Art. 320/Amd. (2)/82 dated the 5th April, 1982 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 1982, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

4. The General Administration Department (General Services) Haryana Notification No. G.S.R.

72/Const./Art. 320/Amd. (3)/82 dated the 15th June, 1982 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1982, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

5. The Excise and Taxation Department Haryana Notification No. G.S.R. 62/H.A. 20/73/S. 64/Amd.(3)/82 dated the 14th May, 1982 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1982, as required under Section 64 of the Haryana General Sales Tax Act, 1973, alongwith Corrigendum dated the 30th June, 1982.

6. The Excise and Taxation Department Haryana Notification No. G.S.R. 95/H.A. 20/73/S. 64/Amd.(4)/82 dated the 14th September, 1982 regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1982, as required under Section 64 of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Finance Minister (Ch. Katar Singh Chhokar): Sir, I beg to present the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1980-81 (Revenue Receipts) relating to the Government of Haryana as required under Article 151(2) of the constitution of India.

वर्श 1982–83 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस (पहली कि त) पे ा करना

Finance Minister (Ch. Katar Singh Chhokar): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (First Instalment) 1982-83.

एस्टीमेटस कमेटी की वर्श 1982–83 के सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स (पहली कि त) पर रिपोर्ट पे ा करना

श्री मोहन लाल पिपल (चेयरमैन, एस्टीमेटस कमेटी): अध्यक्ष महोदय, मैं 1982–83 के अनुपूरक अनुमान (पहली कि त) पर एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पे ा करता हूं।

प्रिवलेज कमेटी की प्रारम्भिक रिपोर्टस पे ा करना तथा अन्तिम रिपोर्टस पे ा करने के लिए समय बढ़ाना

1. 24–5–85 को राज भवन, हरियाणा में राज्यपाल का कथित अपमान करने, गाली दैने तथा बल प्रयोग करने के लिए चौधरी देवी लाल, एम.एल.ए. के विरूद्ध।

Sh. Inder Singh Nain (Chairman, Privileges Committee): Sir, I beg to present the preliminary Report of the Committee of the question of alleged breach of privilege against Ch. Devi Lal, M.L.A. for alleged insulting, abusing and man-handling the Governor of Haryana in Raj Bhawan on the 24th May, 1982.

Sir, I also beg to move:-

That the time for the presentation of the final report be extended before the first sitting of next Session.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the time for the presentation of the final report be extended before the first sitting of next Session.

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): सर, यह प्रिविलेज कमेटी पिछले सै ान में बनी थी। जिस समय इस कमेटी को बनाया गया था उस समय भी हमने एतराज किया था कि यह कमेटी न बनाई जाये। जिस आधार पर इस प्रिविलेज कमेटी को बनाया गया था उस आधार पर यह कमेटी बनती ही नहीं थी। हमने उस समय काफी एतराज उठाया था लेकिन हमारे विरोध के बावजूद भी उस समय यह कमेटी बना दी गई थी और आज उसी कमेटी का समय बढ़ाने के लिये कह रहे है। जिस समय यह कमेटी बनाई गई थी और जो मैंबर उस कमेटी के बनाये गये थे, उनमें से कुछ ने तो त्यागपत्र दे दिये और कुछ मेंबर जो पहले विपक्ष में थे अब कांग्रेस 'आई' ज्वायन कर गये है। इसलिये इन सारी बातों को देखते हुये उस जैसे एक तरफ का ही काम चल रहा हो। मैं आपसे बडी नम्रता से निवेदन करूंगा कि आप इस कमेटी को खत्म कर दें। यदि आप खत्म नहीं करना चाहते और इस कमेटी को एक्सटैन ान देना चाहते है तो इस कमेटी को दुबारा बनाया जाये। वैसे तो इसको समय देने की जरूरत ही नहीं है खत्म ही कर देनी चाहिये। इसलिये मैं आपसे दुाबरा फिर नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यदि इस कमेटी को खत्म नहीं किया जाता है और बनाये ही

रखना है तो इस कमेटी को दुबारा बनाया जाये क्योकि जैसे मैने पहले कहा है कि हमारे कछेक साथी जो पहले हमारे साथ थे वे उधर चले गये है। यदि आप कमेटी को रि–कांस्टीच्यूट नहीं करते तो कमेटी एक तरफा जो निर्णय लेना चाहते वह ले सकती है। उसमें हम कर भी क्या सकते है। इसलिये मेरी फिर यही प्रार्थना है कि इस कमेटी को नये सिरे से कांस्टीच्युट किया जाये।

ि ाक्षा मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे विरोधी साथी ने प्रिविलेज कमेटी के बारे में अर्ज किया है उसके बारे में मै। भी अर्ज करना चाहूंगा। इस सम्बनघ में मेरा कहना यह है कि जो प्रिविलिज कमेटी उस समय बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट आज के दिन आ जानी चाहिये थी। पता नहीं किस कारण चेयरमेन साहब, रिपोर्ट पे ा करने में लेट हो गये है। उस वक्त प्रिविलेज कमेटी के जो मैंबर बनये गये थे वे सभी के सभी दुरूस्त हैं आज ये कह रहे है कि कुछ साथी त्याग पत्र दे गये और कुछ कांग्रेस में भाामिल हो गये । कमेटी के जो सदस्य है वे सभी सम्मान योग्य है। कमेटी जो भी निर्णय करेगी वह सही निर्णय करेगी। एक तरफा निर्णय तो हो ही नहीं सकता। अभी तो यह भी नही पता कि इनके कितने और साथी कांग्रेस में भाामिल होगें। इसलिये मेरी अर्ज यह है कि जो प्रिविलेज कमेटी बनाई गई है उसी को रहने दिया जाये। जैसा कि इन्होने कहा है कि इसको रि–कांस्टीच्युट किा जाये, मेरा कहना है कि इसे रि–कांस्टीच्यूट न

किया जाये और जितना समय कमेटभ की और से मांगा जा रहा है वह बढा दिया जाये।

श्री हरिचन्द हुड्डा: यदि ऐसा ही किया गया तो हम कमेटी में नहीं आयेगें।

श्री जगदी ा नेहरा: इस सम्बनघ में मेरी फिर से यही अर्ज है कि जो प्रिविलेज कमेटी बनाई गई है उसी को रहने दिया जाना चाहिये और दुबारा नहीं बनाई जानी चाहिये।

Dr. Bhim Singh Dahiya (Rohtak): Sir, I shall like to endorse the views expressed by Chaudhri Verender Singh and I strogly feel that the Committee of Privileges be reconstitued. We may extend the time. We do not have any objection but I have a feeling that there are valid reasons fro reconstituting the Committee.

श्रीमती चन्द्रवती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, जिस दिन इस कमेटी को बनया गया था उस समय भी हमने यह कहा था कि यह सब गलत रवायात है। गलत धाराणायें बनती जा रही है और गलत रिवाज कायम की जा रही हैं लेकिन हमारे विरोध के बावजूद भी उस समय इस कमेटी का गठन कर दिया गया था। कमेटी के चेयरमैसन की तरफ से समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। मेरी अर्ज है कि इस कमेटी को खत्म कर देना चाहिये और इस तरह की कोई कमेटी नहीं रखनी चाहिये क्योकि ऐसा करने से उसमें आपका भी तथा मुख्यमंत्री जी का भी बड़प्पन रहेगा। स्पीकर साहब, यदि 107 का कोई मुकदमा बनता हो या

506 का कोई मुकदमा बनता है तो वह बनाया जा सकता हैं लेनि कमेटी बनाने का कोई आधार बनता ही नहीं है। इस हाउस में जो व्यक्ति चुन कर आते है वे किसी की दया से चुन कर नहीं आते बल्कि अपनी मेहनत ओर लोगों से चुन कर आते है। इसलिये उस मैंबर को हाउस में अपने इलाके की बात कहने को और हरियाणा के हित की बात कहने का पूरा पूरा अधिकार होता है। उसे अपने इलाके की सेवा करने का पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिये। उसे लोगों ने चुन कर के भेजा है इसलिये इस कमेटी को खत्म किया जाना चाहिये। उसे लेागें ने चुन कर के भेजा है। इसलिये इस कमेटी को खत्म किया जानाचाहिये। इस प्रकार की कमेटियां बना करक गलत परम्परायें कायम की जा रही हैं यह बात दूसरी है कि हमारा आपस में इन्ट्रस्ट अलग–2 हो सकता है, हमारी विचारधारायें एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। लेकिन इस तरह की कमेटियां बनाना ठीक नहीं है। प्रिविलेज कमेटी के अन्दर जो सदस्य सपहले विपक्ष की ओर से लिये गये थे। उनमें से कुछ कांग्रेस में चले गये है अब वे तो वही बात करेगें जो आप कहेगें। वे कोई भिन्न बात कहेगे यह उम्मीद नहीं रखी जा सकती और न ही वे करेगे। इसलिये मेरी अर्ज है कि इस प्रिविलेज कमेटी को भंग कर दिया जाना चाहिये। इस हाउस में प्रत्यके मैंबर को अपनी बात कहने का पूरा–2 अधिकार है, किसी को भी इस अधिकर से वंचित नहीं करना चाहिये। चौधरी देवी लाल इस सदन के उतने ही माननीय सदस्य है।

श्री कवंल सिंह (घिराये): अध्यक्ष महोदय, सारे मैंबर्ज के एतराज के बाद पिछले सै ान में यह कमेटी बनाई गई थी और अपनी ब्रूट मैजोरिटी का दुरूपयोग करते हुये चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐसा किया था। अब चीफ मिनिस्टर साहब ने चौधरी चरण सिंह जी के एक ब्यान या किसी ऐक्सन को भी यहां हवाला दिया है। (विघन) अध्यक्ष महोदय, इस किस्से के दो पहलू है। अगर आप गवर्नर साहब के प्रति किये गये व्यवहार को हरियाणा में हाउस की मान हानि समझते है तो यह पि चमी बंगाल के अन्दर भी समझी जानी चाहिये। वहां तो इससे भी ज्यादा बेहूदा हरकत की गई थी लेकिन वहां इस तरह की कोई बात नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जहां तक चौधरी चरण सिंह जी के कथन भाख्सियत इस मामले में इनवौलव्ड थी, उनसे किसी सभ्य ढंग से भी निपटा जा सकता था। इसमें यह मानकर तो चला जा सकता है कि कुछ अ ाोभनीय बात हुई है, लेकिन अगर ये इस मामले को इस हद तक ले जाएं कि चौधरी देवी लाल को हाउस की मैंबरि ाप से ही वंचित किया जाये तो वह ठीक नहीं है। (विघ्न)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिहं सुरजेवाला): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, इनकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे कमेटी की फाईनल रिपोर्ट आ चुकी है और उस पर डिसक ान हो रही है। जबकि फैक्ट यह है कि बडा सिम्पल सा प्रस्ताव हाउस के सामने है। प्रिवलेज कमेटी केचेयरमैन चौधरी इन्द्र सिंह नैन ने प्रस्ताव किया है कि पिछले

सै ान के बाद और इस सै ान के आरम्भ होने तक कमेटी को इस इ ाू पर विचार के लिये चुकि थोडा टाईम मिला है इसलिये फाईनल रिपोर्ट पे ा करने काा टाईम ऐक्सटंड कर दिया जाये। लेकिन इनहोने यह कहना भाुरू कर दिया कि कमेटी की मैंबरि ाप ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय यह नौमिनेटिड कमेटी है । इस कमेटी को आप नौमिनेट करते है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे कह ने का मतलब यह कि ये जो बातें कर रहे है उनकी यह स्टेज नहीं है। (विघ्न)

श्री कवंल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा था कि इस सम्बन्ध मे जितने भी इ ाूज थे उनको यही बन्द कर दिया लाये। मेरी मुख्य मंत्री जी से भी यह रिक्वैस्ट है क्योकिं ये इख्लाक की बडी बातें करते है और सदन से भी यह प्रार्थना है कि इस मामले का यहीं खत्म कर दिया जाये तथा कमेटी को कोई और काम सौंप दिया जाए। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी रोजाना हाउस के प्रिवलेजिज को भंग करते रहते है। इसलिये इनके खिलाफ ही अगर प्रिवलेज इ ाू बना दिया जाये तो ठीक रहेगा।

डा0 मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा था कि चौधरी भजन लाल जी अब मौसम के मुताबकि तबदील हो गये होगे। पहले ये बंडे टेन्स रहा करते थे अब भाायद थोडे रिलैक्स हो गये होगें और इनको वह परे ाानी नहीं होगी और जो पहले थी। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी, अगर इन्दिरा गांधी जी आपकी पीठ पर न होती और तपासे साहब आपकी मदद न

करते तो आप इधर होते और हम उधर होते। खैर कोई बात नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कोई रहम की दरख्वास्त नहीं करता और न ही चौधरी देवी लाल जी करते हैं मैं तो एक अच्छी ट्रैडि ान की बात कहना चाहता हूं। आपने, भजन लाल जी जैसे भी हुआ लेागों को अपनी तरफ कर लिया और आपका बहुमत हो गया। अब आपको यही संतोश करना चाहिये। आप जनता को न आजमाओ क्योकि आखिरी फैसला उनहोने ही करना है, मैने और आपने नहीं करना है। इसलिये मै चाहूंगा कि इनको गुड सैन्स प्रिले करे। भगवान का नाम तो ये सुबह भाम लेते ही है क्योकि इन्होन`सारे दिन के गुनाह माफ करवाने होते है। तो अगर इनके मन में यह बात आ जाये कि सही कदम उठाना ह तो मेरी सलाह है कि इस मामले को ड्रोप करना चाहिये। आप की और से भी ड्रौप करने की फराखदिली दिखायी जानी चाहिये। जो कुछ उन्होनें किया है उसमें हमें नही जाना चाहिये।

चौधरी भजन लालः जब टाईम आयेगा, तब देख लेगें।

डा0 मंगल सैनः अब इतना कमेटी का समय जाया करने का क्या फायदा है? कमेटी को इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है? कमेटी के मैंबरान किसी और कार्य के लिये हरियाणा की सेवा कर लेगें। स्पीकर साहब, भजन लाल जी के लिये भी अच्छा मौका है और वे अच्छे मूड में है इसलिये आप इसे ड्रौप कराइये।

श्री अध्यक्ष : प्र न है:—

कि अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक से पूर्व तक बढाया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(II) 24—6—82 को सदन में रज्यपाल महोदय के अभिभाशण के अवसर पर उनके कथित अवचार सम्बन्धी चौधरी देवली लाल, एम0एल0ए0 के विरूद्ध।

Shri Inder Singh (Chariman, Privileges Committee): Sir, I beg to present the preliminay report of the Committee of Privileges of the Haryana Vidhan Sabha on the matter in regard to the question of alleged breach of previlege against Chaudhri Devi Lal, M.L.A., regarding his alleged mi-conduct on the eve of Governor's Address to the House on the 24 the June, 1982.

गया हेाता तो कितने ही ऐसे बेचारे सैनिक जो आज तक पीड़ीत हो चुके है, वे बच जाते। यह जो अमैंडमेंट की जा रही है, यह बहुत पहले हो जानी चहिाये वे बच जाते। यह जो अमैंडमेंट की जा रही है, यह बहुत पहले हो जानी चाहिये थी। ,खैर देर आयद दुरूस्त आयद। मैं अन्त में एक बार फिर इसका समर्थन करता हूं।

Dr. Bhim Singh Dahiya (Rohat): Mr. Speaker, Sir, I welcome the Bill. The purpose of the Bill is good but as if

stands it does not make the position very clear and needs redarafting.

Mr. Speaker, Sir, if you read part (i) of the provison as given in clause 2 of the Bill, you will find that the wording as it creates confusion. For example if a person retired ten years back and he wants to get back is land he may also claim this benefit. The desire, of the Government is to leberalise the provisions of the Act in favour of the owner of the land who had been a member of the Armed Forces. The statement of objects and resons very clearly states the purpose, but it does not become clear from the language of the proviso. I would request the come clear from the language of the proviso. I would request the Government to amend, if in such a way that the position becomes very clear. Part (i) of the proviso which is being inserted reads-

"has been a member of the Armed Forces of the union of India and stands retired or discharged from the Armed Forces"

Sir, my submission is that it may be amended so as to read—

"has been during the period of tenency a member of the Armed Forces of the Union of India nad stands retired or discharged from the Armed Forces at the time of seeking ejectment.

This will make the position very clear otherwise it leaves the scope for misinterpretation and musutilization.

Thank you, Sir.

श्री अध्यक्षः प्र न है:–

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(II) दि पैप्सू टैनैन्सी एंड एग्रीकल्चरल लैंड (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल, 1982

श्री अध्यक्षः अब रैवून्यू मिनिस्टर पैप्सू एंड एग्रीकल्चर लैंडज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1982 को इन्ट्रोडयूस करेगें और यह मूव करेगें कि इसको तुरन्त कंसिडर किया जाए।

Revenue Minsiter (Chaudhri Phool Chand): Sir, I beg to introduce the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands (Haryana Amendment)Bill, 1982.

Sir, I also beg to move

That the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

पैप्सू एंड एग्रीकल्चर लैंडज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

पैप्सू एंड एग्रीकल्चर लैंडज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज–बाई–क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मुला बिल का अनैक्टिंग फार्मुला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Revenue Minister (Chaudhri Phool Chand): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, एक बात के लिये मैं एक मिनट का समय लेना चाहता हूं। वैसे तो जो आज सदन के समने कार्य था, वह सम्पूर्ण हो गया है और अभी करीब सवा घंटा का टाईम बाकी है। इसलिये मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि अगर एक बिल जो कल के एजेन्डा पर है, उसे भी आज ही टेक अप कर लिया जाये तो ठीक रहेगा।

श्रीमती चन्द्रावतीः उसके लिये तो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट एडाप्ट हो चुकी है।

चौधरी भजन लालः लेकिन हाउस सुप्रीम है। उसमें तबदीली लाई जा सकती है।

डा0 मंगल सैनः जी नही।

चौधरी भजन लालः इस तरह से तो आज करीब सवा पांच बजे ही सै ान उठ जायेगा।

श्री अध्यक्षः थोड़ी सी छुट्टी हो जाये तो अच्छा है।

चौधरी भजन लालः जैसे आप की इच्छा।

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः साढ़े नौ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

(17.18 बजे)

(तत्प चात सदन मंगलवार, दिनांक 21–9–1982, साढ़े नौ बजे तक के लिये स्थगित हुआ।)

ANNEXURE

Assurances given in the Backward Classes Conference held at Hissar.

***10. Shri Kundan Lal:** Will the Chief Minister be pelased to state-

(a) whether any assurances were given by him in the Backward classes Conference held at Hissar on 20th June, 1981; if so, details thereof;

(b) whether the assurances, if any, given have been implemented by the Government, and;

(c) if not, the reasons thereof?

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal):

(a) Yes, The following assurances were given:-

(i) Matching grant for the construction of Dharamshalla/Chaupal be extended for Backward Classes.

(ii) One inch relaxation in physical standard i.e. for chest and height be given and Middle standard be no disqualification for Backward Classes for recuitment in the police.

(iii) 10% reservation of seats in Educational/Technical Institutions for admissioin to members of Backward Classes.

(iv) members of Backward Classes who had not been allotted house sites would be considered for allotement of plots.

(v) Enhancement fo Annual Income to Rs.10,000 for Backward Classes.

(vi) Scholarship @ Rs 20/- p.m. for Backward Calsses students.

(vii) Allotment of land for the construction of Backward Classes hostel.

(viii) Land be given to the families of the Backward classes who have been cultivating the land for 11 or 12 years on Government oassessment rate and not on othe basis of lease by auction.

(b) Yes. Aforesaid assurances Sr. No. 1 to 3 have been fulfilled (copies of the circulars issued enclosed). The assurances at Sr. No. 4 is being implemented.

(c) Assurances No. 5 to 8 are under consideration of the State Government.

No. 1872-S.W.II/81

From

The Commissioner & Secretary to

Govt. Haryana. Welfare of Scheduled

Castes & Backward Classes Deptt.

To

1. All Heads of Department, Commissioners

Ambala & Hissar Division, All Deputy

Commissioners and Sub-Divisional

Officer (Civil) in Haryana State.

2. The Registrar

Punjab & Haryana High Court,

Chandigarh.

Dated Chandigarh, the 7th July 1981

Subject:- Reservation of seats for Scheduled Caste/Scheduled Tribes and Backward Classes in Technical Educational and Professional institutes.

Sir,

1.	1637-W.G.I.A.S.O.II-64 4289 dt, 6TH/13TH March 1964	I am directed to refer to the composite Punjab Government letter noted in other margin on the subject noted above and to say that the reservation of seats for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes in Technical/Educational/Professional institutions was provided as under:-
2.	3870-W.G.I.A.S.O.II	(i) 20% of seats in educational, technical and professional institutions controlled by

	-64/20069 dt.6th /9th Oct. 1964	Government are reserved for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
3.	3497-4 W.G.I.-66/13828 dt. 5th May, 1966	(ii) 2% of these seats are reserved for members of Backward Classes.

2. At present 10% posts have been reserved for the members of Backward Classes in the services of Haryana State. It has, however, been noticed that suitable candidates belonging to Backward Classes are not available for the vacancies reserved for them. One of the reasons for their non-availability appears to be that they do not get admission in educational/technical/professional institutions in adequate numbers.

3. The State Government has therefore, decided that 10% of seats in Educational/Technical/Professional institute controlled by Government be reserved for the members of Backward Classes.

However, the total number of seats as may be reserved for various categories should not exceed 50%. The seats reserved for the members of Scheduled Castes should not be reduced below 20% as that is based on the percentage of their population vis-a-vis the total population of the State.

4. It may not be possible to give full effect to above/during the current year where admissions have already

been completed in part or whole. However where admissions are still to be made., action should as far as possible be taken in accordance with the above decision.

5. These instructions may be brought to the notice of all concerned working under you for strict compliance. Receipt of this letter may please be acknowledge.

Sd/-

Joint Secretary,

for Commissioner & Secretary to

Govt. Haryana Welfare of Scheduled Castes and

Backward Classes Deptt. Haryana

A copy is forwarded to :-

1. Financial Commissioner, Haryana.

2. All administration Secretaries to Govt. Haryana for information and necessary action.

Sd/-

Joint Secretary,

for Commissioner & Secretary to

Govt. Haryana Welfare of Scheduled Castes and

Backward Classes Deptt.

U.O. No. 1872-S.W.II-81 Dated Chandigarh, the 7th July, 1981

A copy is forwarded to the Chief Secretary to Govt. Haryana for Information.

Sd/-

Joint Secretary,

for Commissioner & Secretary to

Govt. Haryana Welfare of Scheduled Castes and

Backward Classes Deptt.

U.O. No. 1872-S.W.II-81 Dated Chandigarh, the 7th July, 1981.

Welfare Department Haryana

Endst. No. E.C./81/F-II/12595-609 Dated 11-8-81.

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Districts Welfare Officer in the Haryana State.

2. All principals Pre-Examination Training Centre, Bhiwani Rohtak & Ambala.

Sd/-

Deputy Director,

Welfare of Scheduled Castes and

Backward Classes Deptt. Haryana.